खण्ड–510, अंक–04
गुरुवार, 28 मार्गशीर्ष, शक संवत् 1941
(19 दिसम्बर, 2019 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र, 2019)

(खण्ड 510 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2019

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
नेता विरोधी दल द्वारा धरना-प्रदर्शन को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार बताते हुए अपनी बात कहने का प्रयास	7
प्रश्नोत्तर	8-45
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	45-47
जनपद औरैया में देवकली मन्दिर के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	47
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत आवासीय भवनों/भू-खण्डों पर की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई को अविलम्ब रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	47-48
जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक के कतिपय तहसीलों में बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	48-49
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत अपर आगरा कैनाल के धाना जीवना में नहर पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	49-50
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे कतिपय ग्राम सभाओं में निर्माणाधीन ठोकरों में व्याप्त धांधली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद खीरी के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड शारदा नहर में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत खलियारी से मड़ियान में बन रहे बाईपास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में पानी की टंकी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	51
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	52

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा के अन्तर्गत गजरौला में नई तहसील का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में एन0एच0-2 से आवलखेड़ा तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52-53
जनपद सीतापुर में उमा महिला उत्थान समिति, मिश्रिख को अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	53
जनपद सहारनपुर में प्लाई फैक्ट्री स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53-54
जनपद अम्बेडकरनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा वर्ष (2015-2017) में सदस्यों की नियुक्ति में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	54-55
जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हंडिया के अन्तर्गत ग्राम सभा उमरी मनोहरपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55-56
जनपद सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार अन्तर्गत ग्राम महदेवा खुर्द में हो रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
नगर निगम झांसी द्वारा अवैध पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद महाराजगंज में कालेसर से चिउटहा मार्ग तक बन रहे बाईपास में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57-58
जनपद कुशीनगर की सुकरौली ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58

विषय	पृष्ठ-संख्या
उन्नाव सदर में ट्रान्स गंगा सिटी योजना जोकि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	58-59
नोएडा को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत आमी नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद बस्ती के थाना वाल्टरगंज में पीड़ित पक्ष की सी0बी0सी0आई0डी0/ भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्लोकल मेडिकल कालेज, मिर्जापुर पोल की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम सुल्सामऊ हिलगी के अन्तर्गत ग्राम समाज की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	62
प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में अर्हता रखने वाले 40 शिक्षकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में बरई-बेहीखोर से बल्लू का पुरवा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद लखनऊ में स्वास्थ्य निदेशालय कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63-64
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सैदपुर रेलवे का ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में संचालित बजाज ग्रुप की चीनी मिल अठदमा के द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	64-65
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत कतिपय नगर पंचायतों से दिल्ली के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	65
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में चुर्रा सकतपुर एवं करेली पुलिस चौकियों को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	66-67
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत जिगना मिश्रपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	67-68
जनपद इटावा में चीनी मिल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैयदराजा में ओलों के कारण किसानों के फसलों की बर्बादी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर सीवर लाइन तथा पानी की पाइप लाइन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2019 (सदन के पटल पर रखी गई)	69
न्यायमूर्ति श्री विष्णु सहाय की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर कृत कार्यवाही के विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	69-70
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गई)	70

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित चार याचिकाएं तथा जनपद बरेली से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की गई)	71
श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गई)	71
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 18 याचिकाएं, जनपद कानपुर देहात से 1 याचिका एवं जनपद कानपुर से 1 याचिका (उपस्थित की गई)...	72-74
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	74
श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	74
श्री नितिन अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	75
श्री रवि सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	75
डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	75-76
श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	76
कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गई)	76
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	77
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की गईं)	77
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गौतमबुद्धनगर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की गईं)... ...	78
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	78-80
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	80-81

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित)	81
वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-07, 09 लगायत 11, 14, 18, 21, 31, 48 लगायत 49, 55, 57, 60 लगायत 61, 68, 73 लगायत 74, 76, 78, 81, 83 तथा 86	81
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	81
अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	82
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)..	82
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)...	82
अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	82
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)..	83
अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (स्वीकृत)... ...	83
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	83
अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) (स्वीकृत)... ...	83
अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) (स्वीकृत) ...	84
अनुदान संख्या-60-वन विभाग (स्वीकृत)...	84
अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	84
अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	84
अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत)... ...	84
अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) (स्वीकृत)	85
अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)... ...	85
अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)... ...	85
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	85
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	85

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग (स्वीकृत)	85-86
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 (पुरःस्थापित एवं पारित)	86-89
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (निरस्त)...	89
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित)...	89-90
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित)	90-91
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 (पारित) ...	92-103
उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित)	104-105
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 (पारित)...	105-108
प्रदेश में अन्ना जानवरों से रबी, खरीफ आदि फसलों को हो रहे भारी नुकसान के कारण किसानों को हो रहे आर्थिक संकट को रोकने के लिये कोई ठोस नीति बनाई जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन	108
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	108-112
सदन का अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	112
राष्ट्रगान	113

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-343

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
3. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
4. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
5. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
6. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
7. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
8. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
9. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
10. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
11. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
12. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
13. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
14. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
15. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
18. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
19. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
20. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
21. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
22. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
23. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
24. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
25. अरूण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
26. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
27. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
28. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
30. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
31. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
32. असलम अली, श्री — हापुड़
33. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
34. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
35. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
36. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
37. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
38. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
39. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
41. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
42. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
43. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
44. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
45. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
46. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
48. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
49. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
50. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
51. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
52. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
53. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर
54. करण सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
55. कल्पनाथ पासवान, श्री — आजमगढ़
56. कारिन्दा सिंह, श्री — मथुरा

57. काली प्रसाद, श्री देवरिया
58. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
59. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
60. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
61. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. केसर सिंह, श्री बरेली
64. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
65. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
66. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
67. गंगा, श्री कुशीनगर
68. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
69. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
70. गौरी शंकर, श्री जालौन
71. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
72. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
73. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
74. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
75. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
76. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
77. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
78. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
79. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
80. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
81. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
82. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
83. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
84. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
85. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
86. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
87. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
88. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
89. तजीन फातमा, डा0 रामपुर
90. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
91. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
92. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
93. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
94. दल बहादुर, श्री रायबरेली
95. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
96. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
97. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
98. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
99. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
100. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
101. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
102. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
103. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
104. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
105. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
106. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
107. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
108. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
109. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
110. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
111. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
112. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
113. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
114. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
115. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
116. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
117. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
118. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
119. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
120. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
121. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
122. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
123. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
124. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
125. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी

126. नीलिमा कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
127. पंकज सिंह, श्री — गौतमबुद्ध नगर
128. पक्षालिका सिंह, रानी — आगरा
129. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री — कुशीनगर
130. पल्टूराम, श्री — बलरामपुर
131. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती — सम्भल
132. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री — आगरा
133. पूरन प्रकाश, श्री — मथुरा
134. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — बांदा
135. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती — कानपुर देहात
136. प्रभात कुमार वर्मा, श्री — गोण्डा
137. प्रभाष कुमार, श्री — हरदोई
138. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री — चन्दौली
139. प्रमोद उटवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
140. प्रवीण कुमार सिंह, श्री — इलाहाबाद
141. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री — गोण्डा
142. प्रेमसागर पटेल, श्री — महाराजगंज
143. फतेह बहादुर, श्री — गोरखपुर
144. बन्दना सिंह, श्रीमती — आजमगढ़
145. बम्बा लाल, श्री — उन्नाव
146. बल्देव सिंह औलख, श्री — रामपुर
147. बहोरन लाल मौर्य, श्री — बरेली
148. बाबा गोरखनाथ, श्री — फैजाबाद
149. बावन सिंह, श्री — गोण्डा
150. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती — बुलन्दशहर
151. बिहारीलाल आर्य, श्री — झांसी
152. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री — हाथरस
153. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री — महोबा
154. बृजेश कटेरिया, इंजी0 — मैनपुरी
155. बृजेश कुमार, श्री — उन्नाव
156. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री — बांदा
157. बैजनाथ रावत, श्री — बाराबंकी
158. ब्रजेश पाठक, श्री — लखनऊ
159. भगवती प्रसाद सागर, श्री — कानपुर नगर
160. भूपेश चौबे, श्री — सोनभद्र
161. मंजू त्यागी, श्रीमती — खीरी
162. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
163. मनीषा अनुरागी, श्रीमती — हमीरपुर
164. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री — रायबरेली
165. मनोहर लाल, श्री — ललितपुर
166. मन्जू शिवाच, डॉ0 — गाजियाबाद
167. ममतेश शाक्य, श्री — कासगंज
168. मसूद अख्तर, श्री — सहारनपुर
169. महबूब अली, श्री — अमरोहा
170. महेन्द्र पाल सिंह, श्री — गोरखपुर
171. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — सीतापुर
172. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री — अमरोहा
173. महेश कुमार गोयल, श्री — आगरा
174. महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर नगर
175. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर — हरदोई
176. माधुरी वर्मा, श्रीमती — बहराइच
177. मानवेन्द्र सिंह, श्री — शाहजहांपुर
178. मुकुट बिहारी, श्री — बहराइच
179. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
180. मूलचन्द्र सिंह, श्री — जालौन
181. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
182. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री — श्रावस्ती
183. मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
184. मो0 फईम इरफान, श्री — मुरादाबाद
185. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
186. योगेश धामा, श्री — बागपत
187. योगेश वर्मा, श्री — खीरी
188. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
189. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री — कुशीनगर
190. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
191. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री — फतेहपुर
192. रत्नाकर मिश्र, श्री — मिर्जापुर
193. रफीक अन्सारी, श्री — मेरठ

194. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
195. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
196. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
197. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
198. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
199. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
200. रवि शर्मा, श्री झांसी
201. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
202. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
203. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
204. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
205. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
206. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
207. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
208. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
209. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
210. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
211. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
212. राजबाला, श्रीमती रामपुर
213. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
214. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
215. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
216. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
217. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
218. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
219. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
220. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
221. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
222. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
223. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
224. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
225. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
226. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
227. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
228. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
229. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
230. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
231. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
232. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
233. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
234. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
235. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
236. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
237. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
238. लाखन सिंह, श्री औरैया
239. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
240. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
241. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
242. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
243. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
244. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
245. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
246. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
247. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
248. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
249. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
250. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
251. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
252. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
253. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
254. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
255. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
256. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
257. वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस' शाहजहांपुर
258. वीरेन्द्र, श्री एटा
259. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
260. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
261. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
262. शशांक वर्मा, श्री खीरी

263. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
264. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
265. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
266. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
267. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
268. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
269. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
270. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
271. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
272. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
273. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
274. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
275. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
276. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
277. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
278. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
279. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
280. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
281. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
282. संजय, श्री बुलन्दशहर
283. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
284. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
285. संजय यादव, श्री बलिया
286. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
287. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
288. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
289. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
290. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
291. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
292. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
293. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
294. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
295. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
296. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
297. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
298. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
299. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री बागपत
300. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
301. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
302. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
303. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
304. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
305. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
306. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
307. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
308. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
309. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
310. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री बहराइच
311. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
312. सुभाष राय, श्री अम्बेडकरनगर
313. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री बलिया
314. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
315. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
316. सुरेश कुमार, श्री शामली
317. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
318. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
319. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
320. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
321. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
322. सुरेश राही, श्री सीतापुर
323. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
324. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
325. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
326. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
327. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
328. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
329. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
330. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
331. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
332. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर

333. सौरभ श्रीवास्तव, श्री — वाराणसी
334. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 — सीतापुर
335. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
336. हरिओउम यादव, श्री — फिरोजाबाद
337. हरिशंकर माहौर, श्री — हाथरस
338. हरीराम, श्री — सोनभद्र
339. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 — जौनपुर
340. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
341. हाकिम लाल बिन्द, श्री — इलाहाबाद
342. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती — आगरा
343. हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव

नोट :- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) एवं जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह) भी में उपस्थित थे।

नेता विरोधी दल द्वारा धरना-प्रदर्शन को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार बताते हुए अपनी बात कहने का प्रयास

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में हमको धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार मिला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष प्रश्नकाल हो जाने दीजिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में हमको अधिकार मिला है कि हम धरना-प्रदर्शन कर सकें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल हो जाने दीजिए।

(इसी मध्य समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये और ''संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'', [x x x] आदि सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी सीट पर चलें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकर्ताओं को बन्धक बनाया गया है, पीटा गया है और थाने में बैठाया गया है। डी0जी0पी0 ने बयान भी दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बाहर कहते हैं कि हाउस चलवाओ जब हमने इनको एस0डी0जी0 के मामले में, विकास के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया तब ये गायब रहे, इन्होंने उसका बहिष्कार किया। विपक्ष की तरफ से बार-बार यह कहा जाता है कि सदन में चर्चा नहीं होती। यह लोग कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी सीट पर चलिए। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग चाहते ही नहीं हैं कि कार्यवाही चले। कोई चर्चा, कोई बहस, कोई विधेयक लाओ सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, सरकार हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है लेकिन इनका कोई तर्क नहीं है।

नोट- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

****1-श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री पारसनाथ यादव तथा श्री अजय कुमार लल्लू-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हत्या, डकैती व बलात्कार सहित बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हां।

1-प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्णतः सुदृढ़ एवं चुस्त-दुरुस्त है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द उच्चकोटि का रहा है। कहीं भी कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं हुयी है। आपसी विवाद एवं रंजिश के मामले को समय से निपटाया जा रहा है, जिससे उन्हें बड़ी घटना में बदलने से रोका जा सके। सभी अपराधों को पंजीकृत करने का निर्देश है। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र दिनांक 30 मई, 2018 द्वारा समस्त जनपदीय पुलिस अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करते हुये निर्देशों पर प्रभावी क्रियान्वयन कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जनपदों के सभी शहरों, मोहल्लों व ग्रामों के सम्भ्रान्त नागरिकों को एस-10 व्यवस्था के अन्तर्गत जोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप आम जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति सुरक्षा एवं विश्वास की भावना उत्पन्न किये जाने के उद्देश्य को सकारात्मक बल मिला है।

2-प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त जनपदों में एक साथ विभिन्न प्रकार के विशेष अभियान चलाकर अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण किया जा रहा है।

3-प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत किये जाने की दिशा में यू0पी0-100 (वर्तमान में यू0पी0-112) परियोजना द्वारा प्रभावी कार्यवाही निरन्तर सक्रिय है। वर्तमान में यू0पी0-112 का रेस्पान्स टाइम भी पहले से बेहतर हुआ है, जो मार्च, 2017 में लगभग 38 मिनट था वर्तमान में लगभग 10:40 मिनट है, जिससे स्पष्ट है कि किसी प्रकार की घटना घटित होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच रही है।

नोट :-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

4-महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने हेतु किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों में शासन/प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

5-महिला उत्पीड़न/छात्राओं के साथ छेड़-छाड़ की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश हेतु महिला हेल्पलाइन-1090 एवं एन्टी रोमियो स्क्वायड प्रभावी रूप से और अधिक सक्रिय कर दिया गया है। जनपदीय पुलिस अधिकारियों को इस सम्बन्ध में प्रभावी एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा मुख्यालय स्तर पर प्रतिदिन इसकी मॉनीटरिंग भी उच्चाधिकारियों द्वारा अनवरत् की जा रही है, जिससे महिलाओं एवं बालिकाओं के मध्य विश्वास की भावना प्रबल हुई है।

6-बालिकाओं एवं महिलाओं से सम्बन्धित होने वाले अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के उद्देश्य से आम जनता में अधिक से अधिक महिला पुलिस कर्मियों को सक्रिय करने हेतु जनपदीय पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमणशील रह कर अराजकतत्वों पर सतर्क दृष्टि रखें एवं बालिकाओं/महिलाओं की किसी भी सूचना पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे जनता के बीच पुलिस प्रशासन के प्रति सहयोग एवं मित्र छवि की भावना उत्पन्न हो रही है।

7-प्रदेश के समस्त जनपदीय अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग व बैठक तथा अन्य माध्यम से निरन्तर निर्देशित किया जा रहा है कि बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता से कानून का शासन स्थापित किया जाय। प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने की परिकल्पना को धरातल पर स्थापित करने की दिशा में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के स्तर से प्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन/क्रियान्वयन हर स्तर पर पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित करने हेतु कड़े निर्देश दिए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विधायकों के सरकारी आवास पर चोरी व अन्य घटनाओं के कारण सी0सी0 टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की योजना बनाये जाने हेतु

****2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विधायकों को आवंटित सरकारी आवास पर हो रही चोरी व अन्य घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सी0सी0 टी0वी0 कैमरा सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधायक निवासों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत विधायक निवास-1 व 2 दारुलशफा, लखनऊ में कुल 18 सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित है, विधायक निवास-3, ओ0सी0आर0 में 09 सी0सी0टी0वी0 कैमरा, विधायक निवास-4, रायल होटल में 05, विधायक निवास-6, पार्क रोड में 07 सी0सी0टी0वी0 कैमरे तथा

बहुखण्डीय मंत्री आवास ए ब्लाक में 05, बी ब्लाक में 03 एवं सी ब्लाक में 04 सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित किए जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के मानसिक रूप से दिव्यांग नागरिकों के अभिभावकों को भरण-पोषण हेतु पेंशन प्रदान करने विषयक

***1-श्री मनीष असीजा-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों/वयस्कों के द्वारा बैंक खाते संचालित नहीं किये जा सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मानसिक रूप से दिव्यांग नागरिकों के अभिभावक को उनकी देखभाल, भरण-पोषण हेतु पेंशन प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री (श्री अनिल राजभर)-

बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आती है।

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान नियमावली, 2016 में मानसिक रूप से दिव्यांग नागरिकों के अभिभावक को उनकी देखभाल/भरण-पोषण हेतु पेंशन प्रदान किये जाने का प्राविधान नहीं है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानसिक मंदितों के कल्याणार्थ गठित राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में संरक्षकता की नियुक्ति का प्राविधान है तथा संरक्षक के कर्तव्य के अन्तर्गत निःशक्तता वाले किसी व्यक्ति के संरक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, निःशक्तता वाले व्यक्ति और उसकी सम्पत्ति की, जहां अपेक्षित है, देखभाल करेगा या निःशक्तता वाले किसी व्यक्ति के भरण-पोषण के लिये उत्तरदायी होगा, का प्राविधान है। संरक्षकता के निमित्त संरक्षक को किसी प्रकार का मानदेय आदि दिये जाने की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

प्रदेश के छोटे किसानों को जैविक खाद सब्सिडी देने पर सरकार द्वारा विचार किये जाने विषयक

***2-श्री विजय मिश्र-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छोटे-छोटे किसानों को जैविक खाद खरीद पर सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

जैविक खाद खरीद पर कृषकों को कृषि विभाग से संचालित कुछ योजनाओं में सब्सिडी का प्राविधान किया गया है। वर्तमान में जैविक खेती से संबंधित केन्द्र पोषित परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0) का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना हेतु रुपये 5000/- प्रति एकड़ हरी खाद हेतु रुपये 2000/- प्रति एकड़ प्रति तीन वर्ष, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर रुपये 500/- प्रति एकड़, पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत बनाने हेतु इकाई निर्माण रुपये 2500/- प्रति एकड़ किसानों को देय है।

उक्त के अतिरिक्त मृदा जीवाश्म कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना की योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2017-18 से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में किया जा रहा है। जिसमें प्रत्येक यूनिट आकार (7X3X1) फिट तथा लागत रुपये 8000/- है, में से 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रुपये 4000/- आर0के0वी0वाई0 से पोषित है। 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रुपये 2000/- राज्य सेक्टर पोषित है तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रुपये 2000/- कृषक अंश है।

उक्त के अतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत भी वर्मी कम्पोस्ट की इकाइयों की स्थापना करायी जाती है।

भारत सरकार द्वारा सिटी कम्पोस्ट (जैविक उर्वरक) के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु उर्वरक कम्पनियों को रुपये 1500/- प्रति मी0 टन मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेन्स के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए नीतिगत निर्णय लेने विषयक

***3-श्री सुखदेव राजभर-**

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश को रोजगार सृजन से जोड़ते हुए नीतिगत निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। जिसके प्रस्तर 5.2 में ईपीएफ प्रतिपूर्ति, प्रस्तर-5.11 में रोजगार सृजन को बढ़ावा (ईपीएफ 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिपूर्ति), प्रस्तर-5.13 में मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा कैटेगरी में क्रमशः 1000, 2000 एवं 4000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने वाली इकाइयों को अतिरिक्त उपादान/छूट की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त प्रस्तर 12.3 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त उपादान की व्यवस्था की गयी है तथा प्रस्तर 12.4 में अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/दिव्यांग/बीपीएल श्रमिकों के रोजगार के प्रोत्साहन हेतु अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों पर खर्च की गई धनराशि व जीते गये पदकों की संख्या के सम्बन्ध में

***4-श्रीमती सुषमा पटेल-**

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रतियोगियों के लिए प्रदेश में प्रशिक्षण तथा संसाधनों की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2015 से दिनांक 07-11-2019 तक उक्त पर कितनी धनराशि व्यय की गयी तथा वर्ष 2012 से 2019 तक प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने अन्तर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल मंत्री (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय टीमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न खेलों की राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों में प्रतिभाग करने वाले प्रतियोगियों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रशिक्षण संसाधनों हेतु 71 स्टेडियम, 67 बहुउद्देशीय हाल, 38 तरणताल, 03 सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, 11 कुश्ती हाल, 06 शूटिंग रेंज, 03 जिम हाल, 11 सिंथेटिक हॉकी मैदान, 02 फ्लड लाइट युक्त हॉकी स्टेडियम, 18 छात्रावास, 02 जूडो हाल, 11 वेटलिफ्टिंग हाल, 03 स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, 02 मिनी स्टेडियम, 19 डॉरमेट्री, 02 इण्डोर वालीबाल हाल व 03 स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता। अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु भारतीय टीमों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर धनराशि भारत सरकार द्वारा व्यय की जाती है।

वर्ष 2012 से 2019 तक प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित किये गये पदकों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) 17वें एशियन गेम्स-2014, इंच्योन, दक्षिण कोरिया में 05 स्वर्ण पदक, 08 कांस्य पदक। कुल-13 पदक।

(2) 20वें कॉमनवेल्थ गेम्स-2014, ग्लास्गो, स्काटलैंड में 01 स्वर्ण पदक, 03 रजत पदक, 03 कांस्य पदक। कुल 07 पदक।

(3) 12वें साउथ एशियन गेम्स-2016, गुवाहाटी, आसाम में 05 स्वर्ण पदक (हैण्डबाल टीम गेम), 01 स्वर्ण पदक कबड्डी टीम गेम, 03 स्वर्ण पदक कुश्ती, 01 स्वर्ण पदक वुशू व 01 स्वर्ण पदक बैडमिण्टन। कुल 11 पदक।

(4) आई0सी0सी0 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप-2017, लंदन में भारतीय टीम से उत्तर प्रदेश की सुश्री पूनम यादव व सुश्री दिप्ती शर्मा ने प्रतिभाग कर रजत पदक प्राप्त किया। कुल 02 पदक।

(5) 18वें एशियन गेम्स-2018, जकार्ता, इण्डोनेशिया में 01 स्वर्ण पदक, 04 रजत पदक व 06 कांस्य पदक। कुल 11 पदक।

(6) 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स-2018, गोल्ड कोस्ट, आस्ट्रेलिया में 02 स्वर्ण पदक, 02 रजत पदक, 02 कांस्य पदक व 01 पैरा खेल में कांस्य पदक। कुल 07 पदक।

(7) 2016 में एशिया पैरा बैडमिण्टन चैम्पियनशिप, बीजिंग, चीन में स्वर्ण पदक। कुल 01 पदक।

(8) 2018 में एशियन पैरा गेम्स, जकार्ता में बैडमिण्टन में कांस्य पदक। कुल 01 पदक।

इस प्रकार वर्ष 2012 से 2019 तक उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक व 21 कांस्य पदक सहित कुल 53 पदक अर्जित किए हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में कमजोर मानसून के फलस्वरूप होने वाली बुवाई में देरी पर किसानों को राहत देने विषयक

***5-श्री नाहिद हसन-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में कमजोर मानसून से प्रदेश के कितने जनपदों में कृषि उपज की बुवाई प्रभावित हुई है ? क्या सरकार प्रभावित कृषकों को किसी प्रकार की राहत देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

वर्तमान वर्ष खरीफ, 2019 के अन्तर्गत प्रदेश में खरीफ की धान फसल के कुल आच्छादन लक्ष्य 60 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 60.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बुवाई हुई है। प्रदेश में कुल खरीफ फसलों के अन्तर्गत 95.840 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 96.05 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में प्राप्त, स्वीकृत प्रस्ताव व प्रदत्त रोजगारों का विवरण सदन में रखे जाने विषयक

***6-श्री संजय गर्ग-**

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए, उसमें से कितने स्वीकृत हुए तथा कितने युवाओं को प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार प्रदान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)-

प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत उद्योग लगाने के लिये वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 में प्राप्त/बैंकों को संस्तुत/स्वीकृत एवं प्रशिक्षणोपरान्त रोजगार सृजन का विवरण निम्नवत् है :-

बैंक	प्राप्त राजस्व	बैंकों को संस्तुति	स्वीकृत	रोजगार सृजन
2016-17	46235	11565	3766	38433
2017-18	73405	33268	5488	43584
2018-19	24431	7454	5141	41128
योग	144071	52287	14395	123145

हां विवरण उपर्युक्तानुसार अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के किसानों की दशा सुधारने, आमदनी बढ़ाने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

***7-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की आर्थिक दशा सुधारने तथा आमदनी बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हॉ।

उत्तर प्रदेश के कृषकों की आय आगामी 05 वर्षों में दोगुनी किये जाने हेतु आठ सूत्री रणनीति पर कार्य-योजना तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् :-

(1) खेती के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि की ''समन्वित व्यवसायिक खेती'' पर बल दिया जाना।

(2) मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग।

(3) प्रदेश के रेन-फेड क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार।

(4) पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों पर प्रभावी नियंत्रण से उत्पादन वृद्धि।

(5) खाद्य प्रस्संकरण (फूड प्रोसेसिंग) हेतु आधारीय अवस्थापनाओं में निजी उद्यमियों की सहभागिता।

(6) किसानों के उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हेतु विपणन की व्यवस्था सुलभ कराना।

(7) फसल बीमा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों को आच्छादित करना एवं उन्हें बीमा का लाभ उपलब्ध कराना।

(8) कृषि विविधीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन एवं आय वृद्धि करना।

प्रश्न नहीं उठता।

***8-श्री मो0 फईम इरफान-**

[08 शुक्रवार के ता0प्र0सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में नकली खाद बिक्री के संबंध में

***9-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नकली खाद बिक्री रोकने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 18-09-2019 तक वर्षवार नकली खाद बिक्री के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं तथा कितने प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में अमानक उर्वरकों की बिक्री को रोकने एवं कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु उर्वरक गुण नियंत्रण की कार्य योजना बनाते हुए उर्वरक व्यवसाय पर छापे एवं नमूना ग्रहित करने के जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसके क्रम में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा छापे मारकर उर्वरक नमूनें ग्रहित करते हुए विश्लेषण हेतु अधिसूचित प्रयोगशालाओं को प्रेषित किए जा रहे हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरक प्रतिष्ठानों पर आकस्मिक छापे भी डलवाये जाते हैं। वर्तमान वर्ष 2019-20 में दिनांक 30 नवम्बर, 2019 तक प्रदेश में उर्वरक प्रवर्तन की कड़ी कार्यवाही करते हुए 23640 छापे आयोजित कर कुल 4728 नमूनें ग्रहित किए गए, जिनके प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोपरान्त 327 नमूनें अमानक पाये गये। 198 उर्वरक विक्रय प्राधिकार

पत्र निलम्बित किए गए, 209 उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निरस्त किए गए, 07 उर्वरक प्रतिष्ठान सील किए गए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाइयों के विरुद्ध 18 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

प्रदेश में वर्ष 2017 से दिनांक 18 सितम्बर, 2019 तक उर्वरक गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रहित नमूनों के अधिसूचित प्रयोगशालाओं में विश्लेषणोपरान्त अमानक पाये गये नमूनों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	वर्ष	ग्रहित नमूनों की संख्या	अमानक नमूनों की संख्या	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2017-18	10290	845	अमानक पाये गये नमूनों के सम्बन्ध में उर्वरक (नियंत्रक) आदेश, 1985 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की गई है।
2	2018-19	11057	930	
3	2019-20	4059	303	

दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए कुल 1045 उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निलम्बित किए गए, 1304 उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र निरस्त किए गए, 59 उर्वरक प्रतिष्ठान सील किए गए एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत उर्वरक व्यवसाइयों के विरुद्ध 91 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2018-19 अन्तर्गत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कम्पनियों को दी गई प्रीमियम की धनराशि तथा इन्श्योरेन्स कम्पनियों द्वारा किसानों को बीमा क्लेम की भुगतान राशि का विवरण दिये जाने विषयक

***10-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बीमित किसानों तथा सरकार द्वारा इन्श्योरेन्स कम्पनियों को कुल कितनी धनराशि बीमा प्रीमियम के रूप में दी गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना के अन्तर्गत इन्श्योरेन्स कम्पनियों द्वारा किसानों को कुल कितनी धनराशि का बीमा क्लेम के रूप में भुगतान किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

वर्ष 2018-19 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में प्रीमियम की धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

धनराशि (लाख रु0 में)

मौसम	बीमित कृषकों की संख्या	कृषक प्रीमियम	राज्यांश की धनराशि	केन्द्रांश की धनराशि	कुल प्रीमियम
खरीफ, 2018	31440895	20543.01	28231.01	28231.80	77006.61
रबी 2018-19	2967866	20256.11	25205.09	25205.09	70666.29

वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वितरित क्षतिपूर्ति का विवरण-

धनराशि (लाख रु0 में)

मौसम	लाभार्थी कृषकों की संख्या	वितरित क्षतिपूर्ति
खरीफ, 2018	558015	41954.25
रबी 2018-19	38233	1811.05

उपर्युक्तानुसार। प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों की आय दुगुनी करने हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में

***11-श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हॉ।

उत्तर प्रदेश के कृषकों की आय आगामी 05 वर्षों में दोगुना किये जाने हेतु आठ सूत्री रणनीति पर कार्य-योजना तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

खेती के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि की ''समन्वित व्यवसायिक खेती'' पर बल दिया जाना।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर सन्तुलित उर्वरकों का प्रयोग।

प्रदेश के रेन-फेड क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार।

पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों पर प्रभावी नियंत्रण से उत्पादन वृद्धि।

खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) हेतु आधारीय अवस्थापनाओं में निजी उद्यमियों की सहभागिता।

किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हेतु विपणन की व्यवस्था सुलभ कराना।

फसल बीमा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों को आच्छादित करना एवं उन्हें बीमा का लाभ उपलब्ध कराना।

कृषि विविधीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन एवं आय वृद्धि करना।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि विभाग द्वारा किसानों की मिट्टी के नमूने की जांच उसके व्यय व परिणाम अनुसार कृषि कार्य किये जाने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना का विवरण दिये जाने विषयक

***12-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत एक वर्ष में कृषि विभाग द्वारा कितने किसानों की मिट्टी का नमूना की जांच की गयी तथा उस पर कितना व्यय आया व कितने किसानों ने मिट्टी जांच के परिणाम के स्वरूप कृषि कार्य करना प्रारम्भ किया ? क्या सरकार की सभी किसानों को मिट्टी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कृषि कार्य हेतु प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत संचालित मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 26,76,646 मृदा नमूनों की जांच की गयी।

भारत सरकार द्वारा प्रति नमूना विश्लेषण हेतु निर्धारित व्यय रु0 139.00 के अनुसार बजट उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 27.11 करोड़ का व्यय हुआ।

जी हाँ।

विभाग द्वारा आयोजित मेला, गोष्ठी एवं द मिलियन फार्मर स्कूल (किसान पाठशाला) आदि में मृदा स्वास्थ्य कार्ड में प्रदत्त संस्तुतियों के आधार पर खाद एवं उर्वरक के प्रयोग की सलाह दी जाती है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित मॉडल ग्राम में एक-एक हे0 के प्रदर्शनों पर कृषकों को मृदा सुधारक, सूक्ष्म पोषक तत्व एवं जैव उर्वरक पर प्रति हे0 रु0 2500.00 अनुदान का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में भूमि के प्लाट आवंटन के विवरण के सम्बन्ध में

***13-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

कया औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के कितने प्रतिशत प्लाट अभी आवंटित नहीं हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि डिफेंस कोरिडोर के अतिरिक्त कौन से अन्य बड़े प्रोजेक्ट उद्योग चल रहे हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्रदेश में यू0पी0सी0डा0 द्वारा 155 औद्योगिक विकास क्षेत्रों को विकसित किया गया है। जिनमें 36804 औद्योगिक भू-खण्ड सृजित किए गये हैं। वर्तमान में 31561 भू-खण्ड 26734 इकाइयों को आवंटित हैं, 1500 भू-खण्ड विभिन्न कारणों से विवादित हैं तथा आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं हैं। तथा 3743 भू-खण्ड (10.17 प्रतिशत) भू-खण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं।

यू0पी0सी0डा0 द्वारा वर्तमान में ट्रांसगंगा सिटी, उन्नाव (1144 एकड़) तथा सरस्वती हाई-टेक सिटी, नैनी, प्रयागराज (1138 एकड़) को विकसित किया जा रहा है जिनमें सभी प्रकार के भू-खण्ड यथा औद्योगिक आवासीय, बहुआवासीय, व्यवसायिक तथा संस्थागत भू-खण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध होंगे। प्रदेश में संचालित अन्य बड़े उद्योगों की सूची संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

जहरीली शराब पीने से प्रदेश में हुई मृत्यु की घटना रोकने व दोषियों को दण्डित करने सम्बन्धी

***14-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2019 के मध्य जहरीली शराब से कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है ? क्या सरकार जहरीली शराब बनाने, बेचने और संरक्षण देने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी मंत्री (श्री राम नरेश अग्निहोत्री)-

प्रदेश में 01 अप्रैल, 2017 से 30 सितम्बर, 2019 के मध्य जहरीली शराब के सेवन से 127 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

अवैध कच्ची शराब के निर्माण सहित अन्य समस्त प्रकार के आबकारी अपराधों को समाप्त करने के लिये आबकारी विभाग में जनपद स्तर पर अपराध निरोधक क्षेत्रों सहित मण्डल स्तर पर प्रवर्तन दल व एस0एस0एफ0 की इकाई स्थापित है, जिनमें तैनात आबकारी स्टाफ सहित पुलिस विभाग का स्टाफ निरन्तर आबकारी अपराधों का समूल नाश करने हेतु कार्यवाही कर रहा है। समय-समय पर मुख्यालय स्तर पर निर्गत परिपत्रों द्वारा समस्त विभागीय

अधिकारियों को आबकारी अपराधों की रोक-थाम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने हैं, जिसमें वर्ष में कम से कम चार बार विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश भी दिये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त यथा आवश्यकता आकस्मिक रूप से भी विशेष प्रवर्तन अभियान आबकारी विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। इन प्रवर्तन अभियानों को प्रभावी बनाये जाने हेतु यथा आवश्यकता पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर स्थापित ई0आई0बी0 के उप आबकारी आयुक्तों/ सहायक आबकारी आयुक्त/आबकारी निरीक्षक भी उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों पर छापे डालते हैं।

अवैध शराब से होने वाली जन हानि एवं राजस्व की क्षति पर कड़ाई से नियंत्रण करने के लिये उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (यथासंशोधित 2018) के दण्डक प्राविधानों को और कड़ा करते हुये जुर्माने की धनराशि में कई गुना वृद्धि की गयी है तथा अधिनियम में नई धारा-60(क) जोड़ते हुये अवैध शराब के सेवन से मृत्यु की घटनाओं के लिये दोषी व्यक्तियों के लिये आजीवन कारावास/मृत्यु दण्ड तक का प्राविधान किया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली की व्यवस्था लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत शराब की बोतलों आदि पर बार कोड चस्पा कर वैध मदिरा की पहचान उपभोक्ताओं के लिये आसान कर दिया गया है, जिससे कि दुकानों से अवैध मदिरा की बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित की जा सके।

चलित वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर तक अवैध मदिरा निर्माण व बिक्री के कुल 32,792 मामले पकड़े गये हैं, जिनमें 11,773 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम एवं आई0पी0सी0 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा कुल 15,22,747 लीटर अवैध मदिरा बरामद की गयी और मदिरा के अवैध व्यापार में संलिप्त 642 वाहनों के जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड की क्रय सीमा बढ़ाने के विषय में

***15-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के क्रेडिट कार्ड की क्रय सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

किसान क्रेडिट कार्ड की आहरण सीमा (क्रेडिट लिमिट) कृषकों के पास स्थित जोतों में बोई जाने वाली फसलों के लिये जनपदों में निर्धारित की जाने वाली फसलवार वित्तमान पर आधारित होती है। यह वित्तमान फसलों की पैदावार की लागत को प्रदर्शित करता है। क्रेडिट कार्ड की सीमा का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर डीजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

***16-श्री उज्जवल रमण सिंह-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डीजल के दामों में वृद्धि के मद्देनजर क्या सरकार प्रदेश के किसानों को सब्सिडी पर डीजल उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा डीजल पर अनुदान दिये जाने की कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्राकृतिक कृषि कराये जाने की योजना बनाये जाने विषयक

***17-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि ऋषि पद्मश्री श्री सुभाष पालेकर द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग रोकने, खेती में कम लागत, किसानों की आय बढ़ाने, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, पानी-बिजली की बचत के साथ-साथ जहर मुक्त अनाज के उत्पादन के लिए प्राकृतिक खेती कराये जाने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में कोई योजना संचालित नहीं है परन्तु जीरो बजट प्राकृतिक खेती हेतु राज्य स्तर पर कार्यशाला के आयोजन हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से धनराशि रु0 15 लाख का प्राविधान वर्ष 2019-20 हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त जैविक खेती से सम्बन्धित परम्परागत कृषि विकास योजना प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित है।

प्रदेश में दिव्यांग बच्चों की हत्या रोकने हेतु व 5 वर्ष से कम आयु के दिव्यांगों की सहायता व कल्याण हेतु योजना बनाये जाने विषयक

***18-श्री रवि कुमार सोनकर-**

क्या दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों की सहायता हेतु कोई योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार 5 वर्ष से कम आयु वाले दिव्यांग (विकलांग) बच्चों के कल्याण हेतु कोई वृहद् कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा 05 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों की सहायता हेतु विशिष्ट रूप से कोई योजना नहीं चलाई जा रही है वरन् विभाग द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं का लाभ 05 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को भी प्राप्त हो रहा है :-

(1) शल्य चिकित्सा अनुदान योजना।

(2) कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना।

(3) बचपन डे केयर सेन्टर का संचालन।

उपरोक्तानुसार संचालित योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

शल्य चिकित्सा अनुदान योजना-

दिव्यांगता निवारण के सन्दर्भ में चिन्हित 21 प्रकार की शल्य चिकित्साओं के लिये प्रति लाभार्थी अधिकतम् रु0 10,000/- तथा काक्लियर इम्पलान्ट सर्जरी के लिये अधिकतम् रु0 6,00,000/- का अनुदान दिये जाने का प्राविधान है। काक्लियर इम्पलान्ट योजना के सन्दर्भ में अभिभावक की अधिकतम् आय गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक नहीं होनी चाहिये। अन्य शल्य चिकित्साओं के लिये अधिकतम् आय सीमा रु0 60,000/- वार्षिक से कम निर्धारित है।

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना-

इस योजना के अन्तर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को निर्धारित पात्रता की शर्तों के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप अधिकतम् रु0 10,000/- के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण विभाग द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

बचपन डे केयर सेन्टर-

03-07 वर्ष आयु वर्ग के दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मानसिक मंदित बालक/बालिकाओं को उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर समूहों में वर्गीकृत कर प्री-प्राइमरी स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। इन सेन्टर्स में बच्चों को यूनीफार्म, टॉकिंग एण्ड लर्निंग मैटीरियल (टी0एल0एम0), आवागमन की सुविधा एवं मध्यान्ह भोजन की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभाओं के पात्र लाभार्थियों द्वारा पारिवारिक लाभ योजना के 2018-19 व 2019-20 में प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदन-पत्रों व लम्बित आवेदन-पत्रों के विवरण पटल पर रखे जाने विषयक

1-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की सभी ग्राम सभाओं से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं एवं उक्त में से कितने आवेदन स्वीकृत हुए तथा 30 सितम्बर, 2019 तक कुल कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ? क्या सरकार उक्त का ग्राम सभावार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली एक मुश्त सहायता राशि दोगुना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)-

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज की ग्राम सभाओं में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 78 आवेदन-पत्र पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 40 आवेदन-पत्र स्वीकृत कर लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है। सम्प्रति 38 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

जी हां।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने विषयक

2-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं की किसी भी विधान सभा क्षेत्र में खेल का स्टेडियम न होने के कारण युवाओं की खेल प्रतिभा विकसित नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार खेल के क्षेत्र में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराकर संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-10(4)/35-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना ड्राप कर दिये जाने के फलस्वरूप नये ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

जनपद अयोध्या में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की सूची सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

3-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसान सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो जनपद अयोध्या के तहसीलवार लाभार्थियों की सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा योजना सम्बद्ध विकसित पोर्टल http://www.pmkisan.gov.in/ के अनुसार जनपद अयोध्या में दिनांक 06-12-2019 तक 244501 लाभार्थी कृषकों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। उक्त सूची भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर देखी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में किसानों की आमदनी दुगुनी करने हेतु संचालित योजनाओं से लाभान्वित किसानों की सूची सदन के पटल पर रखे जाने सम्बन्धी

4-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के उक्त योजना से लाभान्वित किसानों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश के कृषकों की आय आगामी 05 वर्षों (2017-18 से 2021-22 तक) में दोगुनी किये जाने की निम्नानुसार रणनीति बनाई गई है :-

(1) खेती के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि की ''समन्वित व्यवसायिक खेती'' पर बल दिया जाना।

(2) मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग।

(3) प्रदेश के रेन-फेड क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का विस्तार।

(4) पोस्ट हार्वेस्ट क्षतियों पर प्रभावी नियंत्रण से उत्पादन में वृद्धि।

(5) खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) हेतु आधारीय अवस्थापनाओं में निजी उद्यमियों की सहभागिता।

(6) किसानों के उत्पाद के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु विपणन की व्यवस्था सुलभ कराना।

(7) फसल बीमा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कृषकों को आच्छादित करना एवं उन्हें बीमा का लाभ उपलब्ध कराना।

(8) कृषि विविधीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन एवं आय वृद्धि करना।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या में कृषि ऋण मोचन योजना से लाभान्वित किसानों का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने सम्बन्धी

5-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि ऋण मोचन योजना कब से लागू की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद अयोध्या में कितने किसानों को उक्त योजना का लाभ दिया गया तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण तहसीलवार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

शासनादेश संख्या-540बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017, दिनांक 24 जून, 2017 के क्रम में प्रदेश में कृषि ऋण मोचन योजना वर्ष 2017-18 से लागू की गई है।

योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के दिनांक 31 मार्च, 2016 तक लिये गये फसली ऋणों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके द्वारा किये गये प्रति भुगतान को समायोजित करने के उपरान्त अवशेष ऋण की धनराशि रुपये एक लाख की सीमा तक मोचन किया जा रहा है।

जनपद अयोध्या में कुल 50136 किसानों को उक्त योजना का लाभ दिया गया तथा कृषकों से प्राप्त ऑफलाइन शिकायत पर जिला स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 4351 लाभार्थी कृषकों का ऋण मोचित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

विवरण डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीकिसानकर्जराहत.यूपीएसडीसी.जीओवी.इन पोर्टल पर देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्धि व लाभार्थियों का विवरण दिये जाने विषयक

6-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना में बढ़ोत्तरी की गयी है ? यदि हां, तो कब से कितनी धनराशि की बढ़ोत्तरी की गयी है और उसका लाभ जनपद अयोध्या के कितने लाभार्थियों को मिल चुका है और कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष बचे लाभार्थियों को बढ़े हुए पेंशन का लाभ प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष के वृद्धजनों को रु0 400/- प्रति माह पेंशन प्राप्त हो रही थी जिसमें दिनांक 01 जनवरी, 2019 से रु0 100/- प्रति माह की बढ़ोत्तरी करते हुए कुल रु0 500/- प्रतिमाह कर दिया गया है। जनपद अयोध्या के सभी 60330 लाभार्थियों को बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल चुका है। कोई लाभार्थी बढ़ी हुई पेंशन के लाभ हेतु शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में शराब की अवैध दुकानों को बन्द कराये जाने विषयक

7-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में संचालित अवैध शराब की दुकानों को चिन्हित कर सरकार बन्द करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश अग्निहोत्री-

जनपद गोण्डा में कोई भी अवैध शराब की दुकान संचालित नहीं हो रही है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कोई दुकान अवैध रूप से संचालित करते हुए पाई जायेगी तो उसके विरुद्ध संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-60 के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में ब्लाक स्तर पर किसान मण्डी बनवाने के सम्बन्ध में

8-श्री सहेन्द्र सिंह चौहान-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में किसान मण्डी सड़कों के ऊपर लगाये जाने से

आने-जाने वालों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर मण्डी बनाए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीराम चौहान-

छपरौली के अन्तर्गत 02 ए0एम0एच0 (एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब) निर्मित हैं। ग्राम टमाला में 06 (ए0एम0एच0) दुकानें निर्मित हैं तथा ग्राम कुर्डीनागल में 04 (ए0एम0एच0) दुकानें निर्मित हैं। इन ए0एम0एच0 के संचालित हो जाने से किसानों तथा व्यापारियों को मण्डी समिति द्वारा प्रदत्त सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी तथा इनमें व्यापारिक गतिविधियां संचालित हो जाने पर उल्लिखित समस्या का समाधान हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर, विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में नवयुवकों हेतु व्यायामशालाओं की स्थापना कराये जाने विषयक

9-श्री सुभाष पासी-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र में नवयुवकों के व्यायाम हेतु कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-449/पचास-यु0क0-2007-149(विविध)/2005, दिनांक 22 मार्च, 2007 द्वारा शहरी एवं ग्रामीण व्यायामशाला की योजना बन्द कर दी गई है।

प्रदेश में जनपद अयोध्या में सामूहिक मुख्य मंत्री विवाह योजना के लाभार्थियों का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने विषयक

10-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सामूहिक मुख्य मंत्री विवाह योजना संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो इस योजना का लाभ जनपद अयोध्या के कितने परिवारों को प्राप्त हुआ है ? क्या सरकार उन लाभार्थियों की तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

वर्ष 2017-18 से अब तक जनपद अयोध्या के 2059 परिवारों को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज, विकास खण्ड-समरेर में अर्द्धनिर्मित आई0टी0आई0 का निर्माण कराकर संचालित कराये जाने विषयक

11-श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के विकास खण्ड समरेर में अधूरे आई0टी0आई0 का निर्माण पूर्ण कराकर सरकार उसे संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल देव अग्रवाल-

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र दातागंज में निर्माणाधीन आई0टी0आई0 के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रु0 111.30 लाख को स्वीकृति किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अवशेष कार्यों के पूर्ण हो जाने के उपरान्त दिनांक 31-01-2020 तक भवन हस्तान्तरण एवं पठन-पाठन प्रारम्भ कराये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

12-श्री आजाद अरिमर्दन-

[02 मंगलवार के अता0प्र0सं0-58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में स्थापित सार्वजनिक/मिश्रित औद्योगिक कम्पनियों की स्थापना का विवरण उपलब्ध कराये जाने विषयक

13-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितने सार्वजनिक/मिश्रित औद्योगिक कम्पनी स्थापित की गयी हैं ? क्या सरकार नई स्थापित औद्योगिक कम्पनियों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस प्रकार की सूचना संकलित नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

14-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद बुलन्दशहर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में 01-04-2015 से 31-03-2019 के बीच सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के दोषी अधिकारियों/ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी

15-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर में 01-04-2015 से 31-03-2019 के बीच किन-किन सड़कों का मरम्मत/

सुदृढ़ीकरण/पुनः निर्माण का कार्य कराया गया है और क्या उक्त सड़कें पुनः क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्मित सड़कों के शीघ्र क्षतिग्रस्त होने के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सड़क सं0-3, 4, 7, 10, 13, 20 व 31 के क्षतिग्रस्त आंशिक भागों में ही सड़कों के अनुरक्षण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया था जिसे 03 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, जिनमें से कुछ सड़कों का आंशिक भाग वर्षा के मौसम में जल-भराव की समस्या के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है, परन्तु अधिकांश सड़कें परिचालन की स्थिति में हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में सड़क सं0-8, 11, 13, 16, 17, 23 व 33 के क्षतिग्रस्त आंशिक भागों में ही अनुरक्षण एवं उच्चीकरण के कार्य कराये गये हैं, जो वर्तमान में ठीक हैं। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रसत सड़कों कें अनुरक्षण/सुदृढ़ीकरण का कार्य नियमित समय अन्तराल पर स्थल की आवश्यकता के अनुरूप कराये जाने की अनवरत् प्रक्रिया चलती रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद के मै0 यू0पी0 ट्वीगा फाइबर ग्लास के भू-खण्डों का गलत नक्शा पास कर सरकार को आर्थिक क्षति की जांच कराकर कार्यवाही करने विषयक

16-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 कासना, जनपद गौतमबुद्धनगर के क्षेत्रीय प्रबन्ध द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थापित उद्योग मै0 यू0पी0 ट्वीगा फाइबर ग्लास के दो भू-खण्डों का अवैध तथा अनियमित रूप से नक्शा पास कर नियमित करने तथा सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने पर उनके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्यवाही करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

भू-खण्ड संख्या-9 व ए-23 औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर संयुक्त रूप से मैसर्स यू0पी0 ट्वीगा फाइवर ग्लास लिमिटेड के पक्ष में आवंटित है। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा प्राधिकरण के नियमानुसार भू-खण्ड संख्या-9 एवं ए-23 औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के पृथक-पृथक भवन मानचित्र इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये गये हैं कि आवंटी कम्पनी द्वारा उपरोक्त दोनों भू-खण्डों का अलग-अलग उपयोग करना होगा। यदि आवंटी कम्पनी द्वारा किसी भी भू-खण्ड का उपयोग नहीं किया गया जाता है तो उक्त स्थिति में पूर्व पंजीकृत पट्टा विलेख (दोनों भू-खण्डों का एक पट्टा विलेख होने के कारण) निरस्त किया

जायेगा तथा आवंटी को उपयोगित भू-खण्ड का पट्टा विलेख नियमानुसार पुनः पंजीकृत कराना होगा। उपरोक्त दोनों भू-खण्डों के भवन मानचित्र स्वीकृति शुल्क एवं शमन शुल्क की देयता के पूर्ण भुगतान पर ही स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद स्थित मै0 यू0पी0 ट्वीगा फाइबर ग्लास लि0 को उद्योग लगाने हेतु भू-खण्ड के फर्जी उपयोग के कारण आवंटन को निरस्त कर अन्य उद्योग को आवंटित किये जाने पर विचार किये जाने विषयक

17-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थित मै0 यू0पी0 ट्वीगा फाइबर ग्लास लि0 को 1976 में उद्योग लगाने हेतु दो भू-खण्ड सं0-9 तथा ए-23 आवंटित किये गये थे। भू-खण्ड सं0 ए-23 में अभी तक कोई उद्योग स्थापित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भू-खण्ड के आवंटन को निरस्त कर किसी अन्य उद्योग को आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

भू-खण्ड संख्या-9 व ए-23 औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में मै0 यू0पी0 ट्वीगा फाइवर ग्लास लि0 पूर्व में आवंटित किये गये हैं जिनकी एक ही लीजडीड दिनांक 27-5-1977 को निष्पादित की गई। प्राधिकरण के नियमानुसार भू-खण्ड संख्या-9 व ए-23 औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद-बुलन्दशहर के पृथक-पृथक भवन मानचित्र दिनांक 25-10-2019 को इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किये गये हैं कि आवंटी कम्पनी द्वारा उपरोक्त दोनों भू-खण्डों को पृथक-पृथक उपयोगित किया जायेगा। भू-खण्ड संख्या-ए-23 को अनुमन्य समय सीमा में आवंटी द्वारा उपयोगित न करने पर अन्य उद्यमियों को आवंटित करने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय, रा0 सम्पत्ति विभाग की जर्जर हो चुकी इन्दिरानगर कालोनी के निवासियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने विषयक

18-श्री आजाद अरिमर्दन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन सेक्टर-16 इन्दिरानगर, लखनऊ में निर्मित राजकीय आवासीय कालोनी अनुरक्षण के अभाव में जर्जर हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी का अनुरक्षण कार्य अथवा अध्यासियों

को अन्यत्र राजकीय आवासीय कालोनी में आवास आवंटन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। बल्कि ऊपरी मंजिल की छतें क्षतिग्रस्त होने के कारण ये आवास सुरक्षित व रहने योग्य नहीं है तथा इनमें नई छत डालने की आवश्यकता है।

प्रथम तल पर स्थित उक्त आवासों को रिक्त करने के लिये अधिशासी अभियन्ता, सिविल अनुरक्षण खण्ड-1 लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित अध्यासियों को नोटिस दिया गया है, किन्तु अध्यासियों द्वारा आवास रिक्त नहीं किया गया है। राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/आर-4146/32-2-2018-40/2017, दिनांक 12 जुलाई, 2018 द्वारा आवास आवंटन एवं परिवर्तन की ऑनलाइन व्यवस्था है। जिसके अनुसार आवेदन करने पर नियमानुसार आवास परिवर्तन करा सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति महेवा जनपद-गोरखपुर के भवन, दुकानों आदि की मरम्मत कराये जाने व सुविधायें प्रदान किये जाने सम्बन्धी

19-श्री पारसनाथ यादव-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की कृषि उत्पादन समिति महेवा के भवन दुकानें और जर्जर है तथा क्षेत्र में पानी निकासी न होने से आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी भवन के दुकानों की मरम्मत कराकर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

नवीन मण्डी स्थल महेवा (गोरखपुर) को आधुनिक मण्डी के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयन करते हुये रु0 403.02 लाख की परियोजना की स्वीकृति दिनांक 19-06-2019 को निर्गत की जा चुकी है। उक्त के क्रम में नवीन मण्डी स्थल को आधुनिक मण्डी के रूप में विकसित किये जाने हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। नवीन मण्डी स्थल महेवा गोरखपुर के फल सब्जी मण्डी में स्थित दुकानों एवं सचिव कार्यालय भवन, विपणन कार्यालय के मरम्मत का कार्य वर्ष 2018 में कराया जा चुका है एवं जल निकासी व्यवस्था हेतु गल्ला मण्डी परिसर में 04 नग एवं सब्जी मण्डी परिसर में 02 नग मड पम्प लगाये जा चुके हैं। मछली मण्डी स्थित 78 नग 'स' श्रेणी की दुकानों के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण तथा पानी निकासी हेतु सी0सी0 नाली का कार्य कराये जाने की आवश्यकता है, जिसका आगणन परिषद् मुख्यालय पर प्राप्त हो गया है व स्वीकृति की प्रक्रिया में है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-कुशीनगर के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

20-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास के अन्तर्गत व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास की कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कपिल देव अग्रवाल-

जी हां।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में मै0 जै0आई0टी0एम0 स्किल्स प्रा0 लि0 द्वारा आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में 15-35 आयुवर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बेरोजगार युवकों-युवतियों को रोजगारपरक् व्यावसायिक ट्रेड्स में निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर हेल्थकेयर सेक्टर के अन्तर्गत बेडसाइड असिस्टेंट के कोर्स तथा बैंकिंग एण्ड अकाउंटिंग सेक्टर में अकाउंट्स असिस्टेंट यूजिंग टैली के कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 में उक्त प्रशिक्षण केन्द्र पर 446 युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 88 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा इन्डोर स्टेडियम निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही शीर्घ कराये जाने विषयक

21-श्री प्रतीक भूषण सिंह-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गोण्डा सदर में खेलों इण्डिया के अन्तर्गत इन्डोर स्टेडियम निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्टेडियम हेतु जमीन अधिग्रहीत कर निर्माण कराकर संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

क्योंकि जनपद गोण्डा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में इन्डोर बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल निर्मित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-गोण्डा में खेल विभाग द्वारा पूर्व से ही जवाहर लाल नेहरु स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत प्रशासनिक भवन, मुख्य खेल का मैदान, इन्डोर बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल तथा वालीबाल कोर्ट निर्मित है।

कृषि के विकास हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने हेतु

22-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या कृषि शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महाराजगंज के बागाकार कृषि फार्म में कृषि क्षेत्र के विकस कृषकों को वैज्ञानिक खेती एवं विद्यार्थियों को कृषि शिक्षा में दृष्टिगत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

वर्तमान में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में चार कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/अयोध्या/मेरठ/बांदा स्थापित है। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) जनपद-आजमगढ़ तथा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) जनपद-लखीमपुर-खीरी में पठन-पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनपद गोण्डा में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) निर्माणाधीन है। सम्प्रति उक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं इनके अन्तर्गत नवनिर्मित महाविद्यालयों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं आदि की व्यवस्था एवं इनको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत जनपद-महाराजगंज के बागाकार कृषि फार्म में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का अवसर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

***23-श्री नरेश सैनी-**

[01 शुक्रवार के अता0प्र0सं0-50 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-सहारनपुर कस्बा बेहट में अनाज मण्डी बनाये जाने हेतु

24-श्री नरेश सैनी-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनपुर की तहसील-बेहट में अनाज मण्डी सरकार बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जनपद-सहारनपुर की तहसील-बेहट में फल-सब्जी व्यापार हेतु 71 दुकानों तथा खाद्ययान्न हेतु 05 दुकानों युक्त उप मण्डी स्थल 1990 में निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-महोबा अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चरखारी में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने हेतु

25-श्री ब्रजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या खेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी में मिनी स्टेडियम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उपेन्द्र तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1 योजना भवन, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-10(4)/35-1/2011-97, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 द्वारा ग्रामीण स्टेडियम की योजना ड्राप कर दिये जाने के फलस्वरूप नये ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है।

विमुक्त जनजातियों (डी0एन0टी0) श्रेणी के लिये पृथक कोड संख्या जारी करने के सम्बन्ध में

26-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षण संस्थानों में प्रदेश एवं छात्रवृत्ति हेतु आरक्षित श्रेणियों एस0टी0/एस0सी0/ओ0बी0सी0/अल्पसंख्यक हेतु जारी पृथक कोड संख्या की भांति विमुक्त जनजातियों (डी0एम0टी0) श्रेणी के लिये पृथक कोड संख्या सरकार जारी करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में विमुक्त जाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-22सी0एम0/26-3-2013, दिनांक 10-06-2013 में उल्लिखित जातियों की सूची में प्रदेश की कोई अनुसूचित जनजाति सूचीबद्ध नहीं है।

साथ ही उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विमुक्त जातियों में सम्मिलित अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को उनके जाति की श्रेणी के अनुरूप अनुमन्य सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

मझवार जाति की जनसंख्या की वृद्धि के सम्बन्ध में

27-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक सं0-53 पर दर्ज मझवार जाति जो आगरा मण्डल में निवास करती है कि वर्ष 1961 की जनगणना से वर्तमान स्थितिनुसार जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

वर्ष 1961 की जनगणना से वर्तमान स्थितिनुसार मझवार जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग में कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनगणना का कार्य निदेशक, जनगणना, भारत सरकार द्वारा सम्पादित किया जाता है।

प्रदेश के निवासी विमुक्त व घुमन्तू समुदाय के छात्रों हेतु एस0डी0एम0/तहसीलदार द्वारा प्रमाण-पत्र बनाना बन्द कर शासनादेश के उल्लंघन के सम्बन्ध में

28-श्री मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निवासरत् विमुक्त एवं घुमन्तू समुदाय के छात्रों को विमुक्त जाति प्रमाण पत्र वर्तमान में सरकार द्वारा जारी करने हेतु शासनादेशों के अनुसार पोर्टल बना हुआ है, जिसके अनुसार वर्ष 2018 तक प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान एस0डी0एम0/तहसीलदार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये प्रमाण पत्र बनाना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर पूर्व की भांति पुनः प्रमाण-पत्र जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

प्रदेश में निवासरत् विमुक्त एवं घुमन्तू समुदाय के छात्रों द्वारा आवेदन करने पर नियमानुसार पोर्टल से विमुक्त जाति का प्रमाण-पत्र जारी किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के भू-जल स्तर में गिरावट को रोकने हेतु गर्मी में धान की फसल पर रोक लगाने हेतु

29-श्री नसीर अहमद खाँ-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के भू-जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिये, पंजाब, हरियाणा आदि अन्य प्रदेशों की भांति प्रदेश में गर्मी की धान फसल पर रोक लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

प्रदेश में गर्मी की धान फसल अर्थात् साठा धान की खेती से भू-जल स्तर में होने वाली गिरावट के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं। आंकड़ों आदि की प्राप्ति होने पर इस सम्बन्ध में विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश को चार भागों यथा पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड में विभक्त करने सम्बन्धी

30-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास व बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण के लिये उत्तर प्रदेश को चार भागों यथा पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश, बुन्देलखण्ड के रूप में विभक्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण से सम्बन्धित कोई समस्या नहीं है।

मा0 विधायक के पत्र सं0 ख-6, नं0-465528, दिनांक 28-08-2019 विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में विकास कार्य कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही के सम्बन्ध में

31-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6, नम्बर-465528, दिनांक 28-08-2019, जोकि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव में विकास कार्य कराने विषयक हैं, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

जी हां।

कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के गौरा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम नेवादा, तालागंजग्रन्ट, पिपरा तप्पा कोट/मछमखा में सड़क बनाये जाने विषयक

32-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या कृषि विपणन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र गौरा में ग्रा0पं0 नेबादा, तालागंजग्रन्ट, पिपरा तप्पा कोट/ मछमखा में मण्डी परिषद् के अन्तर्गत सड़क बनाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में मण्डी परिषद् द्वारा नवीन सम्पर्क मार्गों के निर्माण हेतु कोई सामान्य नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में दिव्यांग बालकों हेतु आवासीय विद्यालय की स्थापना कराने विषयक

33-श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

क्या दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में मूक बधिर, दृष्टि बाधित मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनिल राजभर-

जनपद मथुरा में मूक बधिर, दृष्टि बाधित, मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त एवं शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए एक-एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण निगम के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों को दिनांक 1 अप्रैल, 17 से 31 अक्टूबर, 19 के मध्य दिये गये संरक्षण के ब्यौरे सम्बन्धी

34-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण निगम के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2019 के मध्य कितने बुजुर्गों को संरक्षण दिलाया गया है ? क्या सरकार बुजुर्ग मां-बाप को तंग करने

वाली संतानों के विरुद्ध उक्त अवधि में की गई दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रमापति शास्त्री-

उ0प्र0 माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 31 अक्टूबर, 2019 के मध्य 19289 बुजुर्गों को संरक्षण दिलाया गया।

जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद रामपुर में दिनांक 01-04-2017 से दिनांक 31-10-2019 के मध्य 07 बुजुर्गों को तंग करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है, शेष जनपदों से बुजुर्ग मां-बाप की तंग करने वाली संतानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जनपद-रामपुर का विवरण संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में रखे खाद्य पदार्थों को सड़ने से रोकने सम्बन्धी

35-श्री असलम अली-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित कोल्ड स्टोरेज के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कोई पॉलिसी है ? क्या सरकार बतायेगी कि कोल्ड स्टोरेज में रखे कृषकों के खाद्य पदार्थ सड़ जाने अथवा खराब हो जाने पर कोल्ड स्टोर स्वामियों द्वारा कृषकों को कोई मुआवजा देने का प्रावधान है ? क्या जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी में स्थित जमजम कोल्ड स्टोरेज में रखे गए कृषकों के खाद्य उत्पादों के सड़ जाने व खराब हो जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी हां।

जी हां।

कोल्ड स्टोरेज में रखे कृषकों के खाद्य पदार्थ सड़ जाने अथवा खराब हो जाने पर कोल्ड स्टोर स्वामियों द्वारा कृषकों को मुआवजा देने का उ0प्र0 कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 की धारा-24 में प्राविधान है कि लाइसेन्सधारी, किरायादाता को अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के अवचार या व्यतिक्रम के कारण हुई प्रत्येक हानि, नाश, क्षति, खराबी या माल के अपरिदान के लिये प्रतिकर का देनदार है।

उल्लेखनीय है कि जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी में स्थित जमजम कोल्ड स्टोरेज में व्यापारियों का खाद्य उत्पाद, मिर्च, हल्दी, जीरा, साबुत धनिया का वर्ष 2019-20 में भण्डारण किया गया था। इस शीतगृह में कृषकों का कोई भी खाद्य उत्पाद वर्ष 2019-20 में भण्डारित

नहीं था और किसी भी खाद्य उत्पादों के मालिकों द्वारा खाद्य उत्पाद सड़ जाने व खराब हो जाने की कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में वर्ष 2016-2017 व 2017-2018 में सड़कों के गड्ढामुक्त होने के सम्बन्ध में

36-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में वर्ष 2016-17 व 2017-18 में कौन-कौन सी सड़कें मण्डी परिषद् द्वारा पिच कराने व गड्ढामुक्त कराने हेतु प्रस्तावित हुई ? क्या सरकार उक्त सड़कों के डामरीकरण एवं गड्ढामुक्त कराने हेतु विधायकों से भी प्रस्ताव लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा कुशीनगर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2016-17 निम्न 02 नग सड़क प्रस्तावित थी तथा निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

1-स0मार्ग अर्जुनहवा नहर पिच रोड से बंजारा पट्टी तक मरम्मत।

2-स0मार्ग शिवपुर से जिगना तक मरम्मत।

3-वर्ष 2017-2018 में स0मार्ग प्रा0 पाठ0 सोहांग डिहवा पट्टी नहर का मरम्मत कार्य हेतु 01 नग सड़क प्रस्तावित थी, जिसका कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

मण्डी परिषद् उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति 2013 के अनुसार मरम्मत योग्य समस्त सम्पर्क मार्गों के मरम्मत/गड्ढामुक्तिकरण हेतु कार्य कर रहा है।

उपरोक्तानुसार।

37-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

[01 सोमवार के अता0प्र0सं0-67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में उद्योग लगाने के सम्बन्ध में

38-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के विकास के दृष्टिगत सरकार कोई उद्योग लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम एवं वृहद् उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु नीतियां लागू की गयी हैं, जिनमें प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान रखे गये हैं।

जनपद कुशीनगर में प्रधानमंत्री रोजगार जनरेशन प्रोग्राम (पी0एम0ई0जी0पी0), मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम0वाई0एस0वाई0) एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओ0डी0ओ0पी0) सहायता योजना के नाम से वित्त पोषण योजनायें संचालित हैं। इसके अतिरिक्त विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत लोहार, सुनार, बढ़ई, हलवाई, राजमिस्त्री, मोची, टोकरी बुनकर, कुम्हार एवं दर्जी आदि 10 ट्रेडों में प्रशिक्षित लोगों को टूल किट वितरण किये जाने की योजना चल रही है। ये योजनायें कुशीनगर विधान सभा क्षेत्र में भी संचालित हैं। क्षेत्र के बेरोजगार एवं उद्यमी इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर वन ड्रिस्टिक वन प्रोडक्ट से सम्बद्ध औद्योगिक इकाई लगाने के सम्बन्ध में

39-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट योजना के अन्तर्गत औद्योगिक इकाई लगाने की दिशा में सरकार कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह-

जी हां।

'एक जनपद-एक उत्पाद' कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में 'केले के रेशे से बने उत्पाद' को ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। ओ0डी0ओ0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में ओ0डी0ओ0पी0 उतपादों के विकास हेतु निम्नलिखित योजनायें प्रारम्भ की गयी हैं :-

1-सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना-

यह योजना दिनांक 6-11-2018 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे-कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधायें हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने का प्राविधान है। प्रदेश सरकार द्वारा 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

योजनान्तर्गत जनपद कुशीनगर की डी0एस0आर0 तैयार की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत उद्यमियों एवं कारीगरों को सामान्य सुविधा केन्द्र के माध्यम से बाजार की मांग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार किये जाने हेतु कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाओं हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

2-एक जनपद-एक उत्पाद कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्त पोषण योजना-

जनपद के चिन्हित ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के समग्र विकास हेतु विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिये यह योजना दिनांक 24-9-2018 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत अधिकतम 25 प्रतिशत तक का उपादान देय है। योजनान्तर्गत लाभार्थियों की आर्थिक क्षमता में वृद्धि एवं अधिक से अधिक रोजगार सृजन हेतु परियोजना लागत के अनुसार अधिकतम रु0 20.00 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 45 लाभार्थियों के परियोजना लागत धनराशि रु0 102.00 लाख के आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किये गये तथा बैंकों से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराते हुये 8 इकाइयों की स्थापना करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2019 तक 46 लाभार्थियों के परियोजना लागत धनराशि रु0 27.50 लाख के आवेदन-पत्र बैंकों को प्रेषित किये जा चुके हैं तथा इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त अन्य प्रस्तावों को बैंकों को भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है। बैंकों के साथ अनुश्रवण करते हुये इकाइयों की स्थापना हेतु वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

3-एक जनपद-एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना-

इस योजना के अन्तर्गत चिन्हित उत्पादों को एक ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने तथा विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेला प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने तथा ई-मार्केटिंग के माध्यम से विपणन हेतु सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत उक्त मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग करने वाले इच्छुक हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को मेला स्थल तक माल ढुलाई, स्टाल चार्जेज, यात्रा हेतु किया गया व्यय आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उक्त के अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक कामर्स की प्रतिष्ठित वेबसाइट अथवा पोर्टल के माध्यम से किये गये व्यवसाय में हुय व्यय का 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

4-कौशल विकास व टूल-किट वितरण की योजना-

यह योजना दिनांक 18-2-2019 से क्रियाशील है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किये गये उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चिन्हित किये गये ओ0डी0ओ0पी0 उत्पादों के निर्माण हेतु चिन्हित उत्पाद की विधा में उचित प्रशिक्षण एवं निःशुल्क आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद कुशीनगर में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 100 हस्तशिल्पियों/कारीगरों को प्रशिक्षण के उपरान्त उन्नत टूल-किट निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 200 हस्तशिल्पियों/कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रशिक्षण के उपरान्त आधुनिक टूल-किट निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।

उपर्युक्तानुसार।

40-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद सीतापुर के महमूदाबाद में उद्यान विभाग की बन्द हो चुकी नर्सरी को अन्यत्र स्थापित कराये जाने विषयक

41-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत उद्यान विभाग की नर्सरी (पौधशाला) जोकि अपरिहार्य कारणों से बन्द कर दी गयी है, के स्थान पर कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुये पौधशाला दूसरी जगह स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी नहीं।

महमूदाबाद क्षेत्र उद्यान विभाग की पौधशाला स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि जनपद में उद्यान विभाग की कुल 08 (आठ) राजकीय पौधशालायें हैं, जिन पर कुल 4,57,217 कलमी एवं बीजू फलदार पौधों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है, जो महमूदाबाद क्षेत्र के साथ-साथ पूरे जनपद की मांग के अनुरूप आपूर्ति करने के लिये पर्याप्त है।

जनपद बुलन्दशहर क्षेत्र सिकन्द्राबाद में विभिन्न उद्योगों द्वारा कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी योजना के अन्तर्गत कराये गये विकास कार्यों विषयक

42-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद में स्थापित उद्योगों मै0 ए0पी0एल0 अपोलो लि0, मै0 यू0पी0 ट्वीगा फाइबर ग्लास लि0, मै0 ओरियेन्ट सिरेमिक्स लि0, मै0 ट्रोपीकल एग्रो लि0, मैं अल्ट्राटैक सीमेंट लि0 तथा मै0 हाईटैकपाइप लि0 द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सी0एस0आर0 (कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) योजना के अन्तर्गत सामाजिक उत्थान हेतु कितनी धनराशि के रूप में कौन-कौन विकास कार्य कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

प्राधिकरण में आवंटी कम्पनियों का सी0एस0आर0 (कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) के अन्तर्गत किये गये व्यय के रिकार्ड को निष्पादित लीज डीड अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः आवंटी कम्पनियों द्वारा सी0एस0आर0 (कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी) में किये गये व्यय का विवरण प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है।

सन्दर्भित कम्पनियों द्वारा विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में सी0एस0आर0 के अधीन विकास कार्य न किये जाने पर कार्यवाही का अधिकार प्राधिकरण में निहित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पराझरसा से ग्राम बरैचा तक पक्के मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में

43-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पराझरसा से ग्राम बरैचा एवं ग्राम सतनुआ तिराहे से ग्राम भटपुरा तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पराझरसा से ग्राम बरैच तक सम्पर्क मार्ग मण्डी परिषद् से सम्बन्धित है, जिसका मरम्मत कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

ग्राम सतनुआ तिराहे से ग्राम भटपुरा तक मार्ग गन्ना विकास विभाग से सम्बन्धित है, गन्ना विकास विभाग से प्राप्त सूचनानुसार यह मार्ग वर्ष 2019-20 में गड्ढामुक्त योजनान्तर्गत चिन्हित किया गया है। जिला योजना वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत गन्ना विकास परिषद् के परिषदीय बजट स्वीकृत होने पर लागत का 20 प्रतिशत मैचिंग ग्रान्ट तथा शेष 80 प्रतिशत राज्यांश स्वीकृत होने पर उक्त मार्ग का कार्य कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की मत्स्य मण्डी की दुकानों की मरम्मत व जल निकासी की व्यवस्था कराने विषयक

44-श्री पारसनाथ यादव-

क्या मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की मत्स्य मण्डी की दुकानें जर्जर एवं पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मण्डी की दुकानों का अनुरक्षण कार्य एवं जल निकासी की व्यवस्था करेगी ? हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीराम चौहान-

जी हां।

मण्डी समिति, गोरखपुर परिसर में स्थित मत्स्य मण्डी स्थल में शेडेड दुकानों के पुनर्निर्माण एवं जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

धौलाना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मसूरी पर स्थित श्री बांके बिहारी डेंटल मेडिकल कालेज एच0पी0डी0ए0 हापुड़ से मानचित्र स्वीकृत न होने व बिल्डिंग कृषि भूमि पर होने की जांच कराये जाने विषयक

45-श्री असलम अली-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र धौलाना के ग्राम मसूरी एन0एच0-24 पर स्थित श्री बांके बिहारी डेंटल मेडिकल कालेज एच0पी0डी0ए0 हापुड़ से मानचित्र बिना स्वीकृत डेंटल मेडिकल कालेज की बिल्डिंग कृषि भूमि की जमीन पर बनी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज की जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सतीश महाना-

श्री बांके बिहारी डेण्टल मेडिकल कालेज ग्राम मंसूरी में पड़ता है, जो औद्योगिक विकास अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-3148/77-4-06-214 भा/05, लखनऊ दिनांक 14-06-2006 द्वारा वृहत्तर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण फेज-2 के रूप में सम्मिलित किया गया है तथा उसे उक्त प्राधिकरण के विस्तार के रूप में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा फेज-2 का मास्टर प्लान एन0सी0आर0पी0बी0 की गाइडलाइन्स के अनुसार तैयार किये जाने का प्रावधान है।

एन0सी0आर0पी0बी0 की गाइडलाइन्स के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव होता है। उक्त दशा में कार्यवाही किये जाने की समय सीमा पहले से ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण स्तर पर निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

[11:05] [नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं]

श्री अध्यक्ष-

आप लोग नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले इसलिये मैं आगे की मदें ले रहा हूँ। आज नियम-301 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें आई हैं, उन सभी को मैं स्वीकार करता हूँ।

(सदन की सहमति से सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

पहली सूचना श्री रमेश चन्द्र दिवाकर की जनपद-औरैया में देवकली मन्दिर के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत आवासीय भवनों/भू-खण्डों पर की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई को अविलम्ब रोके जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद-रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक के कतिपय तहसीलों में बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद-मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत अपर आगरा कैनाल के धाना जीवना में नहर पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, छठवीं सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे कतिपय ग्राम सभाओं में निर्माणाधीन ठोकरों में व्याप्त धांधली के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद-खीरी के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड शारदा नहर में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद-सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत खलियारी से मड़ियान में बन रहे बाईपास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, नौवीं सूचना श्री कारिन्दा सिंह की जनपद-मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में पानी की टंकी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री किशन लाल राजपूत की जनपद-पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा के अन्तर्गत गजरौला में नई तहसील का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री राम प्रताप सिंह की जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में एन0एच0-2 से आवलखेड़ा तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री सुरेश राही की जनपद-सीतापुर में उमा महिला उत्थान समिति, मिश्रिख को अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद-सहारनपुर में प्लाई फैक्ट्री स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद-अम्बेडकरनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सोलहवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा वर्ष (2015-2017) में सदस्यों की नियुक्ति में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में, सत्रहवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हंडिया के अन्तर्गत ग्राम सभा उमरी मनोहरपुर में

प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, अट्ठारहवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा लालगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्नीसवीं सूचना श्री काली प्रसाद की जनपद-सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार अन्तर्गत ग्राम महादेवा खुर्द में हो रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, बीसवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की नगर निगम झांसी द्वारा अवैध पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, इक्कीसवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद-महाराजगंज से कालेसर से चिउटहा मार्ग तक बन रहे बाईपास में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में, बाइसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में, तेइसवीं सूचना श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया की जनपद-कुशीनगर की सुकरौली ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में, चौबीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की उन्नाव सदर में ट्रान्स गंगा सिटी योजना जो कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पच्चीसवीं सूचना श्री पंकज सिंह की नोएडा को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में, छब्बीसवीं सूचना श्री शीतल पाण्डेय की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत आमी नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, सत्ताइसवीं सूचना श्री प्रमोद उटवाल की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में, अट्ठाइसवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की जनपद बस्ती के थाना वाल्टरगंज में पीड़ित पक्ष की सी0बी0सीआई0डी0/भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्तीसवीं सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्लोकल मेडिकल कालेज, मिर्जापुर पोल की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम सुल्सामऊ हिलगी के अन्तर्गत ग्राम समाज की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में, इकतीसवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में अर्हता रखने वाले 40 शिक्षकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, बत्तीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में बरई-बेहीखोर से बल्लू का पुरवा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तैंतीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद लखनऊ में स्वास्थ्य निदेशालय कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौंतीसवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सैदपुर रेलवे का ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, पैंतीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में संचालित बजाज ग्रुप की चीनी मिल अटडमा के द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में, छत्तीसवीं सूचना डॉ0 डी0सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत कतिपय नगर पंचायतों से दिल्ली के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में, सैंतीसवीं सूचना श्री अगयश राम

सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में चुर्रा सकतपुर एवं करेली पुलिस चौकियों को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में, अड़तीसवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, उन्तालीसवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत जिगना मिश्रपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चालीसवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में, इक्तालीसवीं सूचना श्रीमती सावित्री कठेरिया की जनपद इटावा में चीनी मिल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, बयालीसवीं सूचना कुँ0 सुशील सिंह की जनपद-चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैयदराजा में ओलों के कारण किसानों की फसलों की बर्बादी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा तिरालिसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र मैथानी की जनपद-कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर सीवर लाइन तथा पानी की पाइप लाइन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

जनपद-औरैया में देवकली मन्दिर के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र दिवाकर-

[मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र औरैया बीहड़ क्षेत्र है इसमें दलित, पिछड़ा एवं अति पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी 90 प्रतिशत से अधिक है। यहां पर कोई आवासीय विद्यालय न होने के कारण गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे है। काफी समय से इस क्षेत्र में एक आवासीय विद्यालय खोले जाने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर काफी प्रयास करने के बावजूद निराशा ही हाथ लगी है। जनहित में औरैया जनपद में देवकली मन्दिर के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये गरीब बच्चों की शिक्षा हेतु देवकली मन्दिर के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के अन्तर्गत आवासीय भवनों/भू-खण्डों पर की जा रही उत्पीड़न की कार्रवाई को अविलम्ब रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र में भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आवासीय भवनों के एक भाग व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोल रखे हैं और शेष में वह अपने परिवार के साथ निवास करते है। इसके अतिरिक्त भारी संख्या में ऐसे लोग भी हैं, जिन्होंने आवासीय

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भू-खण्ड पर निर्माण करके विवाह घर एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं किन्तु पिछले माह से आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण ऐसे प्रतिष्ठानों को सील करने का काम कर रही है। बेरोजगारी के कारण अपने परिवार का किसी प्रकार से पालन पोषण करने के लिये आज के महंगाई के दिनों में जब कोई भी सरकार भारी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार देने में असमर्थ है। मजबूर होकर जनता आवासी भवनों/भू-खण्डों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को चला रही है। उपरोक्त व्यवसायी प्रतिष्ठानों को सील किया जाना जनता के साथ उत्पीड़न है और इस बात की आवश्यकता है कि जनहित में कानून को संशोधित करके उपरोक्त वर्णित उत्पीड़न की कार्यवाही रोकी जाय और इनकों नियमित कर दिया जाय।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये आवासीय भवनों/भू-खण्डों पर की जा रही उत्पीड़न की कार्यवाही को अविलम्ब रोके जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं]

जनपद-रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक के कतिपय तहसीलों में बस स्टैण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 कें अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजबाला-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मिलक (जनपद-रामपुर) की तहसील-शाहबाद एवं तहसील-मिलक में बस स्टैण्ड नहीं है। रोडवेज की समस्त बसे मुख्य मार्ग पर ही खड़ी होती हैं जिससे प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है। इस क्षेत्र से जनपद-बदायूं, चन्दौसी, सम्भल, मुरादाबाद व रामपुर मुख्यालय की सीमायें जुड़ी हुयी हैं इन जिलों के अतिरिक्त समूचे उत्तर प्रदेश के लिये बसों का संचालन यहां से होता है, परन्तु अभी तक बस स्टैण्ड न होने के कारण अत्यन्त ही असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोनों तहसीलों में बस स्टैण्ड निर्माण हेतु भूमि रिक्त है। तहसील-शाहबाद एवं तहसील-मिलक में मूलभूत सुविधाओं से युक्त रोडवेज बस स्टैण्ड बनवाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद-अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलबीर सिंह-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली, जनपद अलीगढ़ में निम्नलिखित मार्ग कच्चे हैं, बारिश के समय में इन मार्गों पर पानी भर जाने के कारण ग्रामीणों का निकलना असम्भव

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हो जाता है। कीचड़ के कारण छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल जाने में काफी कठिनाई होती है। जनहित में निम्नलिखित मार्गों का निर्माण अति आवश्यक है :-

1	बम्बा की पटरी रठगांव अमरौली मार्ग से ब्राह्मण नगला तक (नव निर्माण)	1.25 किमी0
2	महरावल नगरिया से महरावल तक (नव निर्माण)	1100 मी0
3	ग्राम बहादुरपुर कोटा से पिपलौठ तक खेरे के पास होते हुए (नव निर्माण)	1.5 किमी0
4	ग्राम लालपुर के बंजारा नगला में रोड से गांव तक (नव निर्माण)	500 मी0
5	ग्राम श्यामपुर से अर्जुनपुर नगला बंजारा तक (नव निर्माण)	2 किमी0
6	ग्राम सिखरना में राजेन्द्र के मकान से महमूदपुर के मंदिर तक (नव निर्माण)	1 किमी0
7	ग्राम बाहरपुर से डावर रोड (नव निर्माण)	1.5 किमी0
8	ग्राम सियपुर से ग्राम दहेली मार्ग (नव निर्माण)	1.2 किमी0
9	ग्राम अमृतपुर से नवाबपुर तक (नव निर्माण)	1.5 किमी0
10	ग्राम सोमना देवपुर से चांदपुर मार्ग (नव निर्माण)	2 किमी0
11	ग्राम पेकरगढ़ी से कटरा मार्ग (नव निर्माण)	1.25 किमी0

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्गों के शीघ्र निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव के अन्तर्गत अपर आगरा कैनाल के धाना जीवना में नहर पर सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मान्यवर, जनपद मथुरा के बलदेव विधान सभा में किसानों की सिंचाई का एकमात्र साधन राया एवं बलदेव ब्लाक (मथुरा) में मॉट ब्रान्च गंग नहर है। इसमें से बलदेव रजवहा, कुरसंडा रजवहा व अन्य कई माइनरें निकलती हैं। इसी प्रकार से फरह ब्लाक (मथुरा) के किसानों की सिंचाई के एकमात्र साधन अपर आगरा कैनाल मथुरा तथा लोअर आगरा कैनाल मथुरा है। इसमें से बरारी रजवहा, फरह रजवहा, महुअन रजवहा, परखम रजवहा, फतेहपुर सीकरी रजवहा आदि तथा अन्य काफी माइनरें निकलती हैं। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र के मॉट ब्रान्च गंग नहर से निकलने वाली राया एवं बलदेव ब्लाक में लगभग 4 लाख ग्रामीण आंचल में किसानों को मॉट ब्रान्च गंग नहर की बढ़े रजवहा से बलदेव व राया रजवहा, कुरसण्डा रजवहा,

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आयराखेड़ा रजवहा, कारब रजवहा, पचावर रजवहा तथा पिण्डारी माइनर, कटैला माइनर तथा महावन माइनर आदि माइनरें निकलती हैं जिनके रख-रखाव में विभाग यह कहकर बच जाता है कि कोई शासन से धन आवंटित नहीं है और जितना धन आवंटन है वो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कम है तथा जो माइनर व रजवहों की सड़कें हैं, उनकी भी स्थिति काफी जर्जर है। जनपद में वर्षा का प्रतिशत काफी कम है, जिससे किसान अभी धान एवं आलू, गेहूं आदि फसलों को पर्याप्त सिंचाई का पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार से फरह में अपर आगरा कैनाल (मथुरा) का हाल है। साथ ही माँट ब्रान्च गंग नहर मथुरा में गांव नगला रतिया में तथा इसके आसपास के ग्रामों के दबंग किसानों ने विभाग की मिलीभगत से अवैध कुलावे नहर में लगा रखे हैं, उनको शीघ्र हटाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ ही हमारे क्षेत्र के अपर आगरा कैनाल के धाना जीवना में नहर पर डेढ़ कि0मी0 की सड़क 20 वर्ष पूर्व चौ0 चरण सिंह योजना में निर्माण हुई थी, पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इसका नव निर्माण अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे कतिपय ग्राम सभाओं में निर्माणाधीन ठोकरों में व्याप्त धांधली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय कन्नौजिया-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 357-बेल्थरा रोड जनपद बलिया के अन्तर्गत सरयू नदी के किनारे स्थित चैनपुर गुलौरा एवं टंगुनियां ग्राम सभाओं में निर्माणाधीन ठोकरों में व्याप्त धांधली एवं भ्रष्टाचार से बाढ़ पूर्व लगभग 1 दर्जन ग्राम सभाओं को सुरक्षित किये जाने हेतु सरकार के मंशा के अनुरूप कार्य पूर्ण न होने से ग्रामवासियों को बाढ़ से भारी जानमाल का नुकसान होने का खतरा बना हुआ है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्ब लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-खीरी के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड शारदा नहर में अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एवं अविलम्बनीय, लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिला-लखीमपुर खीरी के बाढ़ खण्ड शारदा नहर लखीमपुर के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्ष 2016-17 व 2017-18 एवं 2018-19 व 2019-20 के दौरान 95 अधिष्ठान के मद विभिन्न मदों 0-2 मजदूरी 08 कार्यालय व्यय व 12 कार्यालय फर्नीचर व 16 विशेष सेवा एवं विभिन्न मदों में आपूर्ति सामग्री को टी एण्ड वी पर लिये बिना फर्जी छोटे वाउचर मात्र बिल लेकर बिना अनुबन्ध के तथा कार्य स्थल बन्धे पर बिना लेवर रखे तथा 16 मद सहित अन्य सभी मदों में करोड़ों का भुगतान भ्रष्टाचार कर नियम विरुद्ध आपूर्ति से शासकीय धन का दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच या विजिलेन्स से जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत खलियारी से मड़ियान में बन रहे बाईपास से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भूपेश चौबे-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र रार्बट्सगंज जनपद सोनभद्र में खलियारी से मड़ियान (मीरजापुर) तक बनने वाले स्टेट हाइवे के अन्तर्गत राबर्ट्सगंज नगरपालिका क्षेत्र होकर गुजर रहा है, जिससे सड़क चौड़ीकरण करने के कारण बाजार पूरी तरह से टूट जायेगा। इससे कई हजार लोग बेरोजगार व बेघर हो जायेंगे। जनहित में बाईपास बनाकर राबर्ट्सगंज स्थित बाजार को बचाया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बाईपास बनाकर राबर्ट्सगंज स्थित बाजार को बचाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोवर्धन में पानी की टंकी के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कारिन्दा सिंह-

[मान्यवर, जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र 83-गोवर्धन 80 प्रतिशत क्षेत्र में खारे पानी की समस्या है। मेरी विधान सभा के अन्तर्गत तीन नगर पंचायतें हैं। गोवर्धन, राधाकुण्ड व सौंख, इनमें पेयजल हेतु नलकूपों व पाइप लाइन बिछाने की अति आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र में नीम गांव व मुड़सेरस आबादी के स्तर से बड़े गांव हैं यहां पेयजल की शुरू से ही समस्या बनी हुई है। उक्त दोनों गांवों में पेयजल हेतु पानी की टंकी बनाना अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में मंडी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 श्याम बिहारी लाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 122-फरीदपुर जनपद बरेली के अन्तर्गत फरीदपुर नगर के आस-पास मण्डी समिति बनाये जाने हेतु जनता द्वारा लगातार मांग की जाती रही है। 30 किमी0 के दायरे में कोई भी मण्डी समिति नहीं है। फरीदपुर क्षेत्र में गेहूं धान, बाजरा, मसूर, उरद एवं आलू आदि की पर्याप्त उपज होती है। क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा प्लाइवुड फैक्ट्रियां भी हैं। लोगों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर बिचौलियों पर बेचनी पड़ती है। मण्डी स्थल बनाये जाने हेतु जब भी सरकार से मांग की जाती है तब तब मण्डी परिषद के स्थानीय अधिकारियों द्वारा कम मण्डी टैक्स प्राप्त होने की गलत सूचना उपलब्ध करा दी जाती है। मण्डी निर्माण किये जाने हेतु विभाग को तीन स्थानों पर जमीन के कागजात उपलब्ध करा दिये गये हैं जनहित में मण्डी समिति बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा के अन्तर्गत गजरौला में नई तहसील का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन लाल राजपूत-

[मान्यवर, ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत की चार विधान सभाओं में से बरखेड़ा विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है जिसकी कोई अपनी निजी तहसील नहीं है, जनमानस को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करके 25 से 30 कि0मी0 कार्य हेतु दूर जाना पड़ता है, जिससे जनता का समय एवं धन का अपव्यय होता है। राजनैतिक दृष्टिकोण से अमरिया एवं कलीनगर स्थलों का चयन कर अनुपयुक्त तहसीलों का गठन किया गया है। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव शासन को सम्प्रेषित भी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में एन0एच0-2 से आंवलखेड़ा तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम प्रताप सिंह-

[मान्यवर, जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र 86-एत्मादपुर में एन0एच0-2 से आवलखेड़ा तक का मार्ग अति व्यस्त है। आंवलाखेड़ा गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम शर्मा की जन्म स्थली है तथा उक्त मार्ग पर ही सिद्ध गुफा समाई स्थित है तथा थाना वरहन भी है। साथ-साथ वरहन व मितावली रेलवे स्टेशन पर भी उक्त मार्ग से जाया जाता है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या होने से आवागमन अति व्यस्त रहता है। उक्त मार्ग का चौड़ीकरण जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-सीतापुर में उमा महिला उत्थान समिति, मिश्रिख को अनुदान दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राही-

[मान्यवर, जनपद सीतापुर में महिलाओं के कल्याण हेतु ''उमा महिला उत्थान समिति मिश्रिख'' संचालित है, जो गरीब एवं असहाय महिलाओं के उत्थान का कार्य करती है। परन्तु सरकार द्वारा इस महिला उत्थान समिति को महिलाओं के कल्याण हेतु व्यापक तरीके से कार्य करने हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है, जिससे यह महिला उत्थान समिति सभी असहाय महिलाओं का उत्थान करने में असहाय साबित हो रही है। असहाय एवं गरीब महिलाओं के हित में इस समिति को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए गरीब एवं असहाय महिलाओं के उत्थान हेतु उक्त समिति को अनुदान दिलाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-सहारनपुर में प्लाई फैक्ट्री स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेश सैनी-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर व आस-पास के जनपदों में पापुलर के पेड़ की बड़े पैमाने पर पैदावार होती है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पापुलर के पेड़ बेचने के लिए हरियाणा जाते हैं, जबकि मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सहारनपुर में प्लाई फैक्ट्री स्थापित किये जाने की घोषणा की थी जिससे सहारनपुर सहित पश्चिमी उ0प्र0 के किसानों को अपने पापुलर के पेड़ बेचने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। जनपद सहारनपुर व अन्य जनपदों के किसान वर्तमान में हरियाणा में ही अपना पापुलर पेड़ बेचने को मजबूर हैं। हरियाणा राज्य को पापुलर के पेड़ किसानों को मजबूरी में देना पड़ रहा है जिससे यहां के किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है साथ ही उ0प्र0 सरकार को राजस्व की काफी हानि हो रही है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद सहारनपुर में प्लाई फैक्ट्री स्थापित किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-अम्बेडकरनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष राय-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर में सरकार द्वारा तीन प्रा0स्वा0 केन्द्र नेवादा कला, रसूलपुर बाकरगंज और सम्मनपुर का निर्माण लगभग डेढ़ करोड़ की लागत से कराया गया। उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनकर लगभग एक वर्ष से पूर्ण है। सरकार इतना धन व्यय होने के बावजूद भी उपरोक्त अस्पताल अभी जनता के संचालित नहीं है। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह जनहित का गम्भीर विषय है। उक्त अस्पताल संचालित न होने के कारण स्थानीय जनता में काफी रोष है।

अतः इस जनहित के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त अस्पतालों को तत्काल चालू कराये जाने की मांग करता हूं।]

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा वर्ष (2015-2017) में सदस्यों की नियुक्ति में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मनीषा अनुरागी-

[मान्यवर, संस्थान में तत्कालीन समय में रिक्त चल रहे पांच विभागों के एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के स्थान पर अपने चहेतों को तैनाती देने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के दबाव में इन पदों के सापेक्ष अस्थायी रुप से असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) की नियुक्ति का विज्ञापन दिनांक 17-01-2015 को संस्थान प्रशासन द्वारा समाचार-पत्रों में दिया गया जबकि इन अस्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए अनुमोदन संस्थान के शासी निकाय द्वारा 26-03-2015 को प्रदान किया गया। वर्ष 2015, अप्रैल माह में इन पदों के लिए साक्षात्कार कराये गए जिसमें निम्न चिकित्सकों की भर्ती की गयी।

-डॉ0 नवीन जामवाल-अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, कार्डियोलॉजी विभाग

-डॉ0 कुलदीप यादव-अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी विभाग

-डॉ0 संजीत कुमार-अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूरोलॉजी विभाग

-डॉ0 तुषान्त कुमार-अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसर, रेडियोलॉजी विभाग

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन चिकित्सकों की भर्ती अस्थायी रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर (संविदा) के रूप में की गयी, पर पूर्ववर्ती सरकार के दबाव में इनको नियमित वेतनमान दिया गया। अतः मैं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े एक बड़े संस्थान में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुए इस नियुक्ति घोटाले में सदन के सदस्यों के समक्ष कार्यवाही चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से इन नियम विरुद्ध नियुक्तियों पर जांच कर कार्रवाई की अपेक्षा रखती हूं। लोक हित व महत्व के इस विषय पर वक्तव्य की मांग करती हूँ।]

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा उमरी मनोहरपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हाकिम लाल बिन्द-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत ग्राम सभा-उमरी मनोहरपुर, वि0ख0-हण्डिया में प्राथमिक विद्यालय नहीं है जिससे वहां के ग्रामीणों के बच्चों को शिक्षा न मिलने से उनका भविष्य अंधकार में है एवं उक्त ग्राम में पंचायत भवन भी नहीं है, जिससे वहां के ग्रामीणों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय एवं पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा लालगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आजाद अरिमर्दन-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

जिला-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में जिला पंचायत एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के बनाये मार्ग 1-वि0ख0-ठेकमा ग्राम सकरामऊ पिलखुआ से सकरामऊ से पिलखुआ की तरफ जाने वाला मार्ग। 2-वि0ख0-लालगंज के ग्राम-देवगांव बाजार में पारस सिंह के कटरा से खन्ना सिंह के घर होते हुए कस्बा देवगांव में पश्चिम दलित बस्ती की तरफ पिच मार्ग का अवशेष मरम्मत कार्य की लम्बाई लगभग 400 मी0। 3-वि0ख0-ठेकमा के आजमगढ़, वाराणसी मार्ग से गोमाडीह चौकी की तरफ पिच मार्ग की मरम्मत कार्य। 4-वि0ख0-ठेकमा में गोसाई की बाजार नहर चौक से पश्चिम की तरफ नहर पटरी वाली सड़क। 5-वि0ख0-लालगंज,

---

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खुम्हादेवरी, लहुआ मार्ग से ग्राम बेली में रामनाथ राजभर पूर्व प्रधान के घर की तरफ पिच मार्ग की मरम्मत कार्य। उक्त मार्ग अत्यन्त जर्जर हो गये। उक्त जर्जर मार्गों का मरम्मत कार्य न होने के कारण क्षेत्रीय आम जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आम जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-सिद्धार्थनगर के ब्लाक उस्का बाजार अन्तर्गत ग्राम महदेवा खुर्द में हो रहे अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली प्रसाद-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील नौगढ़, ब्लाक-उस्का बाजार के ग्राम-ग्राम सभा चोरई के अन्तर्गत ग्राम महदेवा खुर्द के खाता संख्या-00071 के गाटा सं0 112 झ रकबा 0-2-4(0.0270 हे0) पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में जनपद-सिद्धार्थनगर, तहसील नौगढ़, ब्लाक-उस्का बाजार के ग्राम महुलानी के निवासीगण श्री राधेश्याम मिश्र पुत्र स्व0 वंशमनि मिश्र एवं आरती देवी पत्नी स्व0 वंशमनि एवं अन्य के नाम पर अंकित है। उक्त गाटा संख्या अभी तक कोई सरकारी बंटवारा नहीं हुआ है। यह गाटा नहर के किनारे रोड से सटा होने के कारण कीमती व मूल्यवान है। उक्त रकबे में पेड़ भी लगे हुये हैं। रकबे में सहखातेदार कुल 17 हैं, सरकारी बंटवारा न होने के कारण वास्तविक स्थिति पूर्ण रकबे को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं है। प्रायः सहखातादारों द्वारा उक्त रकबे पर कब्जा कर लिया जाता है और विक्रय किया जा रहा है। उक्त भूमि पर कई लोगों ने अवैध कब्जा भी कर लिया है और अवैध रूप से मकान व दुकान का निर्माण भी करा लिया है। उक्त भूमि के अवैध कब्जे व बटवारे के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करायी गई है। परन्तु राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त अवैध कब्जे से क्षेत्रीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है जिससे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

उपरोक्त लोगों द्वारा रकबा स्पष्ट कराकर वृक्षारोपड़ जैसे पुनीत कार्य से सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु जनपद के सम्बन्धित अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है। जनहित के उक्त प्रकरण का निराकरण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व और सुनिश्चित प्रकरण पर सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगर निगम झांसी द्वारा अवैध पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनिल कुमार मौर्य-

[मान्यवर, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि नगर निगम झांसी द्वारा श्री कन्हैया लाल कुशवाहा निवासी 663, बाहर उन्नाव गेट झांसी की जमीन पर गलत तरीके से पार्क का निर्माण करा लिया गया है। श्री कुशवाहा ने इस सम्बन्ध में नगर निगम के अधिकारियों को भी अवगत कराया है परन्तु अभी तक कोई भी कार्रवाई नगर निगम द्वारा नहीं की गयी है। जिस गाटा संख्या 1370 में पार्क का निर्माण किया गया है। उसके साथ ही श्री कुशवाहा की जमीन (गाटा संख्या 1369) मौजा झांसी खास पर भी पार्क का अवैध निर्माण करा लिया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त जमीन कि पैमाइस नगर निगम द्वारा कराकर श्री कुशवाहा की जमीन गाटा संख्या 1369 को छोड़कर मौजा झांसी खास को छोड़कर पार्क का निर्माण कराया जाय।]

जनपद-महाराजगंज से कालेसर से चिउटहा मार्ग तक बन रहे बाईपास में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमन मणि त्रिपाठी-

[मान्यवर, एन0एच0आई0 द्वारा बनाये जा रहे गोरखपुर बाईपास कालेसर से चिउटहा मार्ग में भारी अनियमितता बरती जा रही है। कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की है, पूरे मार्ग में गड्ढा है, जिससे गति से चलना नामुमकिन है। अतः इस कार्य में अनियमितता की जांच कराई जाये। कार्य के ठेकेदार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं कसंलटेन्ट की अनियमितता से गुणवत्ता खराब हुई है। इसकी जांच कराके कार्रवाई करने की कृपा करें।]

जनपद-अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, जनपद-अयोध्या विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत रुदौली पेयजल पुनर्गठन योजना की स्वीकृति शासन द्वारा वर्ष 1917-18 में 17 करोड़ से ज्यादा की लागत से की गई। कार्यदायी संस्था नागर इकाई अयोध्या द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण नगर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था चौपट हो गयी है। नगर इकाई द्वारा शहर क्षेत्र की सड़कों को पाइप लाइन डालने के लिए खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसके कारण

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहर क्षेत्र के व्यापारियों में आम जनमानस को आवागमन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आये दिन जाम की समस्या बनी रहती है। उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल पेयजल योजना का कार्य पूरा कराये जाने व क्षतिग्रस्त सभी मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने की मांग क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार की जा रही है। परन्तु अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों एवं आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समयबद्ध सीमा में स्वीकृत पेयजल योजना का कार्य पूरा कराये जाने व क्षतिग्रस्त सभी मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-कुशीनगर की सुकरौली ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार उर्फ पवन केड़िया-

[मान्यवर, जनपद-कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र स्थित ग्राम सभा सुकरौली आबादी की दृष्टि से अत्यन्त सघन है। सुकरौली को नगर पंचायत का दर्जा देकर यहां के निवासियों को नगरीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना समय की मांग है। इस निमित्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगभग समस्त औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं किन्तु उदासीनता व लेट-लतीफी के कारण अभी तक सुकरौली को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए जनपद-कुशीनगर की सुकरौली ग्राम सभा को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने सम्बन्धी अधिसूचना तत्काल जारी कराये जाने की मांग करता हूं।]

उन्नाव सदर में ट्रान्स गंगा सिटी योजना जोकि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उन्नाव सदर में ट्रान्स गंगा सिटी योजना जो कि यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा संचालित की जा रही है, के अधिग्रहण से किसानों के साथ अन्याय हुआ है। इस योजना के धारा-4 के पश्चात् धारा-6 एवं धारा-6 के पश्चात् धारा-11 की अधिसूचना समय-सीमा के बाद की गयी। इस अधिग्रहण में अवार्ड का प्रस्ताव 2008 में आयुक्त महोदय को 5.51 लाख की राशि को भेजा गया जोकि निरस्त हो

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गया। यह अवार्ड करार नियमावली के अन्तर्गत कर पुनः वही अवार्ड 2010 में शासन की अनुमति से जारी किया गया। यहां यह कहना है कि एक तो अवार्ड का प्रस्ताव आयुक्त महोदय द्वारा निरस्त होने के उपरान्त क्या शासन को पुनः जारी करने का कानून है एवं समय-सीमा बीतने के बाद जो कि निरस्त होने के कारण बताये गये क्या ऐसे में भी अधिकार है कि समय-सीमा के बाद भी निरस्तीकरण के आदेश के उलट पुनः अवार्ड जारी किया जा सकता है, साथ ही 2008 के प्रस्ताव की स्वीकृति 2010 में हुई क्या इस बीच का ब्याज यू0पी0एस0आई0डी0सी0 को किसानों को देना चाहिए ?

अतः मा0 महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

नोएडा को नगर पालिका परिषद् बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद गौतमबुद्धनगर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नोएडा की स्थापना की गई थी। अब औद्योगिक विकास के साथ-साथ इसकी वर्तमान में आबादी तकरीबन 20 लाख से अधिक हो चुकी है जोकि सेक्टरों एवं गांवों में निवास करती है। गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पूर्व में ग्राम पंचायतों व जिला पंचायतों द्वारा की जाती थी किन्तु वर्तमान में इन्हें भी समाप्त कर दिया गया है अब सेक्टरों एवं गांवों में नगरीय मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों व प्राधिकरणों के द्वारा की जाती है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार अवगत कराया जाता है कि प्राधिकरणों द्वारा सड़क, साफ-सफाई, पेयजल, मार्ग प्रकाश, सीवर से सम्बन्धित समस्याएं, जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गमन आदि की समस्याओं का ठीक प्रकार से निपटारा नहीं हो पा रहा है। बढ़ती आबादी को देखते हुए समूचे नोएडा में अब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक प्रकार से करने के लिए यदि नोएडा शहर को नगर पालिका परिषद् (एनडीएमसी, नई दिल्ली की भांति) के रूप में स्थापित किया जाता है तो विकास प्राधिकरणों द्वारा शहर के विकास कार्य एवं नगर पालिका परिषद् द्वारा नगरीय सुविधाओं का संचालन सुचारु रूप से हो सकेगा। इस सम्बन्ध में पहले भी मेरे द्वारा मंत्रि-मण्डल समूह की बैठक में अवगत कराया गया है जिस पर अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नोएडा में नगर पालिका परिषद् के गठन/स्थापना की मांग करता हूं।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां के अन्तर्गत आमी नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शीतल पाण्डेय-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 324-सहजनवां जनपद-गोरखपुर के अन्तर्गत आमी नदी बहती है। इस नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध न होने के कारण बाढ़ की विभीषिका से प्रति वर्ष काफी जन-धन की हानि होती है। जनमानस द्वारा काफी समय से आमी नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध बनाये जाने की मांग की जा रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आमी नदी के दोनों किनारों पर तटबन्ध बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद उटवाल-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा 13-पुरकाजी जनपद-मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत एक भी तहसील नहीं है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को लगभग 60 किमी0 तक की दूरी तहसील में कार्य हेतु आना-जाना पड़ता है। जबकि तहसील बनाये जाने हेतु मानक भी पूर्ण है, जिसमें लगभग 80-90 गांवों को लाभ मिलेगा। जनहित में पुरकाजी तहसील बनाया जाना अति आवश्यक है। क्षेत्र के लोगों की यह मांग प्राथमिकता में है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बस्ती के थाना वाल्टरगंज में पीड़ित पक्ष की सी0बी0सी0आई0डी0/भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पारस नाथ यादव-

[मान्यवर, ''सबका साथ सबका विकास'' सरकार का नारा पूरी तरह से विफल हो गया है, प्रदेश सरकार के अधिकारी जहां मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों के आदेशों को शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ग्राम इटहिया, थाना-कप्तानगंज जनपद निवासियों के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन पीड़ित पक्ष के साथ उनकी धार्मिक भावनाओं का माखौल उड़ाकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रही है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती के थाना-वाल्टरगंज में पंजीकृत अपराध संख्या-240/19 व अपराध संख्या-241/19 में स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोष फंसाये गये व उत्पीड़ित किये गये लोगों को न्याय दिलाये जाने के लिये जहां प्रदेश सरकार के मंत्रि-मण्डल के सदस्यों ने उच्च स्तरीय जांच कराये जाने हेतु गृह विभाग को पत्र लिखा व उसी क्रम में गृह पुलिस अनुभाग-14 के विशेष सचिव ने दिनांक 26 नवम्बर, 2019 को अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था को प्रेषित पत्र के माध्यम से पीड़ित पक्ष द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र को संलग्न करते हुये जांच शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर करके जांच आख्या 15 दिन में शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये थे। पीड़ित पक्ष थाना वाल्टरगंज में दर्ज उक्त अपराध संख्या की निष्पक्ष जांच सी0बी0सी0आई0डी0/भ्रष्टाचार निवारण संगठन अथवा निष्पक्ष जांच किसी गैर जनपद के अधिकारी से कराये जाने की मांग की जाती रही है। किन्तु शासन प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की आशा धूमिल हो गयी है।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित, अविलम्बनीय प्रश्न पर अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था द्वारा स्वयं जांच न करके किसी अन्य से जांच कराये जाने तथा पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके, इस हेतु सी0बी0सी0आई0डी0/भ्रष्टाचार निवारण संगठन से जांच कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्लोकल मेडिकल कालेज, मिर्जापुर पोल की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय गर्ग-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर स्थित ग्लोकल मेडिकल कालेज की मान्यता मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के द्वारा वर्ष 2017-2018 से नये छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु रद्द कर दी गई है, जिस कारण 2016-2017 में प्रवेश लिये 24 छात्र-छात्राओं की पिछले कई महीनों से पढ़ाई नहीं हो पाई है और वह सभी छात्र-छात्रायें किसी दूसरे मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में स्थानान्तरण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन से मांग कर रहे हैं एवं उनका शैक्षिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक, स्वास्थ्य के द्वारा जांच करने के उपरान्त भी अभी तक कोई न्यायोचित समाधान नहीं निकल पाया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर उपरोक्त छात्र-छात्राओं को न्याय देने हेतु उनका प्रवेश किसी अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज में किये जाने हेतु शासन से वक्तव्य दिये जाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम सुल्सामऊ हिलगी के अन्तर्गत ग्राम समाज की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट'-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम सुल्सामऊ हिलगी गांव के दोनों मजरे मीनापुर व सुल्सामऊ में खाली पड़ी ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से वहां पर प्लाटिंग कर रही कम्पनियों के लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है जिसकी शिकायत कई बार ग्राम प्रधान द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों से की गयी परन्तु कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गयी। कम्पनियों के द्वारा राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से ग्राम समाज की ऊसर बंजर, नाली, चकमार्ग व सई नदी के किनारे खाली पड़ी भूमि पर अवैध कब्जा कर अपनी प्लाटिंग में शामिल करते जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा न रोकने के कारण स्थानीय जनता में भारी रोष एवं आक्रोश की भावना व्याप्त है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये तत्काल जांच कराकर कम्पनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में अशासकीय महाविद्यालयों में अर्हता रखने वाले 40 शिक्षकों का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विरेन्द्र कुमार यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में 18 मई, 2017 को ऐक्ट 31 ई के तहत आमेलित मानदेय पर शिक्षकों की भांति अर्हता रखने वाले लगभग 40 शिक्षकों को अभी तक आमेलित/विनियमित नहीं किया गया है। यह शिक्षक लगभग 20 वर्षों से अनवरत् रूप से सेवा दे रहे हैं एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित है तथा नियुक्ति की तिथि से वेतन संदाय खाते से प्राप्त कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण गम्भीर विषय है इन शिक्षकों को इनके कार्य को देखते हुये नियमित किया जाना आवश्यक है।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये तत्काल शिक्षकों को नियमित किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड दीनशाह गौरा में बरई-बेहीखोर से बल्लू का पुरवा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[मान्यवर, महोदय अवगत कराना है कि हमारी वि0स0 क्षेत्र ऊँचाहार जनपद रायबरेली के वि0ख0 दीनशाह गौरा में बरई-बेहीखोर मुख्य पक्का मार्ग से बल्लू का पुरवा मजरे बेहीखोर लगभग 01 कि0मी0 का रास्ता कच्चा एवं अत्यन्त खराब है जिससे आम जनता को अत्याधिक समस्याओं का समाना करना पड़ रहा है।

उक्त मार्ग अत्यन्त खराब है। जनहित में इसका निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोकहित के इस मुद्दे पर शीघ्र कार्यवाही कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद लखनऊ में स्वास्थ्य निदेशालय कर्मियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा ब्लैक लिस्ट सेवा प्रदाता फर्म मैसर्स आर0एम0एस0 टेक्नो साल्यूशन इण्डिया प्रा0 लि0 से सांठ-गांठ के आरोपों में पूर्व केयर टेकर अविनाश के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिये। राजपत्रित अधिकारियों हेतु रिजर्व ट्राजिंट हास्टल में सपरिवार खुलेआम रहने एवं विभाग को एच0आर0ए0 भी नहीं देने के आरोप में पूर्व केयर टेकर अविनाश को निलम्बित किया जाय। स्थानान्तरण सत्र 2019-20 में गोलीकांड की घटना से स्वास्थ्य भवन की छवि पूरे प्रदेश में धूमिल हुई उस समाय उत्तरदायी केयर टेकर अविनाश के विरुद्ध सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही हेतु निलम्बित करना चाहिये। श्री शफाअत हुसैन निदेशक, उ0प्र0 वक्फ विकास निगम लि0 के मुख्य मंत्री पोर्टल आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0-12157190047358 दि0 15-5-2019 के सन्दर्भ में पूर्व केयर टेकर अविनाश के विरुद्ध कार्रवाई किया जाये। श्री बजरंग बहादुर सिंह, विधायक फरेन्दा, महराजगंज श्री दिग्विजय नारायण चौबे, विधायक खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर, श्री राम प्रताप वर्मा, विधायक उतरौला, बलरामपुर श्री अनिल दोहरे, विधायक, कन्नौज श्री अनिल भाजपा पार्टी कार्यकर्ता श्री जयसिंह पूर्व प्रधान के विभाग को प्रेषित गम्भीर आरोपों युक्त शिकायती-पत्रों पर समुचित कार्रवाई कर ऐसे भ्रष्ट बाबू को सरकारी सेवा से हटाने का अनुरोध किया गया। ऐसे भ्रष्ट बाबू अविनाश को भविष्य में स्वास्थ्य

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महानिदेशालय के किसी संवेदनशील पद पर तैनात न किया जाय। पूर्व केयर टेकर अविनाश द्वारा अनियमित तरीके से अर्जित की गई चल एवं अचल सम्पत्तियों की जांच करायी जाय।

अतः इस विलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुये उपरोक्त प्रकरण पर कार्रवाई किये जाने की मांग सरकार से करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सैदपुर रेलवे का ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र 374, सैदपुर में नगर पंचायत सैदपुर पड़ता है जो एन0एच0-29 के दोनों तरफ बसा हुआ है और इस मार्ग से जनपद-वाराणसी, जनपद-चन्दौली, जनपद-आजमगढ़, जनपद-जौनपुर से भारी मात्रा में वाहनों का आवागमन लगा रहता है लेकिन जबसे सैदपुर-मारुफपुर गंगा नदी का पुल बना है तबसे आयेदिन कई किलोमीटर तक जाम लग जाया करता है जिससे मरीजों को ले जाने वाले एम्बुलेन्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व साथ में क्षेत्रीय जनता व यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस जाम के कारण कई अप्रिय घटनाएं भी हो चुकी हैं जिसका मूल कारण सैदपुर रेलवे क्रासिंग है।

मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन की तरफ से वर्तमान सरकार से मांग करता हूँ कि जनता की परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुये सैदपुर रेलवे का ओवरब्रिज बनाने हेतु तत्काल निर्देश देने का कष्ट करें।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में संचालित बजाज ग्रुप की चीनी मिल अठदमा के द्वारा किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[मान्यवर, जनपद बस्ती में गन्ने की खेती एक मात्र कैशक्राफ्ट के रूप में किसानों की पहली पसन्द है, इसी के आय से किसान अपने बेटे-बेटियों की पढ़ाई-लिखाई, शादी-विवाह आदि कार्य सम्पन्न करते हैं परन्तु इधर कुछ वर्षों से मिल प्रशासन के द्वारा किसानों के गन्ने का गन्ना मूल्य समय से न भुगतान किये जाने के कारण किसान व्यथित है, जबकि गन्ना मिल द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना सप्लाई के 14 दिन के अन्दर भुगतान किये जाने का सरकारी प्राविधान है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्तमान में बजाज शुगर मिल अठदमा पर किसानों का पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 का 79 करोड़ गन्ना मूल्य बकाया है। जिसके लिये किसान बार-बार मिल का चक्कर काट रहे हैं तथा तहसील समाधान दिवस में भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं। लेकिन मिल के द्वारा बकाया मूल्य भुगतान के समाधान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे किसान बहुत ही आहत हैं।

वर्तमान पेराई सत्र मिलों द्वारा प्रारम्भ कराया जा चुका है मिल द्वारा गन्ना खरीद की समान अनुपातिक प्रक्रिया नहीं अपनायी जा रही है। अगैती, अस्वीकृत तथा सामान्य गन्ने की पर्ची प्राप्त करने हेतु किसानों का शोषण किया जा रहा है जबकि अधिकारियों के द्वारा मिल को निर्देशित किया गया है कि अगैती एवं अस्वीकृत गन्ने की पर्चियां किसानों को पहले उपलब्ध करायी जायें उसके बावजूद किसानों को पर्चियां नहीं मिल पा रही हैं।

उपरोक्त समस्याओं को लेकर किसानों के विभिन्न संगठनों के द्वारा दिनांक 15/12/2019 को धरना प्रर्दशन किया गया जो दिनांक 17/12/2019 से भूख हड़ताल में बदल गया है आज भी किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुये हैं। स्थिति बहुत ही गम्भीर है, हड़ताली किसानों की मांग/समस्याओं का सरकार द्वारा संज्ञान लेकर निस्तारित किया जाना अति आवश्यक है।

रबी के बुआई का सीजन चल रहा है भुगतान न होने की स्थिति में किसान सेठ-साहुकारों से कृषि कार्य हेतु ऋण लेने हेतु विवश है ऐसे में किसानों के पिछले सत्र का 79 करोड़ रु0 का भुगतान कराये जाने हेतु कड़ा कदम उठाये जाने की आवश्यकता है, भुगतान न होने की स्थिति में किसानों में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। प्रकरण अति लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज अन्तर्गत कतिपय नगर पंचायतों से दिल्ली के लिये उत्तर प्रदेश परिवहन की बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री डी0सी0 वर्मा-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा 119-मीरगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शाही, शीशगढ़ मीरगंज आदि से दिल्ली के लिये कई डग्गामार बसें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं जिन्हें बन्द कराना अत्यन्त आवश्यक है एवं इनके स्थान पर उ0प्र0 परिवहन की बसें संचालित करना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में चुर्रा सकतपुर एवं करेली पुलिस चौकियों को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मान्यवर, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नदी दियोहा के पश्चिम में एक बड़ा भू-भाग जनपद पीलीभीत का है। जबकि सम्पूर्ण जनपदीय परिक्षेत्र नदी दियोहा के पूर्व में है। उक्त नदी दियोहा का पश्चिमी परिक्षेत्र को थाना बीसलपुर से सम्बद्ध किया गया है। यह परिक्षेत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से पूर्णतः नियंत्रित नहीं है। इसलिये इस परिक्षेत्र में एक पुलिस चौकी गांव चुर्रा सकतपुर के नाम से अधिष्ठापित की गयी है फिर भी कानून व्यवस्था प्रभावी एवं सफल नहीं है।

इसी प्रकार थाना विलसण्डा का वह परिक्षेत्र जो कि जनपद शाहजहांपुर की सीमावर्ती है परन्तु थाना विलसण्डा से अलग-थलग है। इसीलिये इस परिक्षेत्र में भी गांव करेली में पुलिस चौकी अधिष्ठापित है यह पुलिस चौकी भी कानून व्यवस्था में पूर्ण सफल नहीं है।

उपरोक्त उल्लेखानुसार दोनों पुलिस चौकियों का थाने के रूप में उच्चीकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है। पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त दोनों पुलिस चौकियों को थाने के रूप में उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित किया गया है जो शासन स्तर पर लम्बित है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय तथा उक्त दोनों पुलिस चौकियों चुर्रा सकतपुर एवं करेली को उच्चीकृत कराये जाने की भी कृपा की जाये।]

जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र 133-तिलहर के वि0खं0-निगोही के अन्तर्गत जनहित में पक्के, जर्जर एवं गड्ढायुक्त मार्गों का डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में मार्ग निम्नवत हैं:-

1-शाहजहांपुर, पीलीभीत स्टेट हाई-वे पर ग्राम पतराजपुर तिराहे से भदेंग भटपुरा मिश्र ल0 लगभग-07 कि0मी0।

2-शाहजहांपुर, पीलीभीत स्टेट हाई-वे पर ग्राम धुल्लिया से ईटगांव रजवाहा नहर पटरी पर ग्राम लोहरगवां तक ल0 लगभग-05 कि0मी0।

3-शाहजहांपुर, पीलीभीत स्टेट हाई-वे पर खनंका पुल से ग्राम धुल्लिया प्रा0 विद्यालय तक ल0 लगभग-1.5 कि0मी0।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-शाहजहांपुर, पीलीभीत स्टेट हाई-वे पर महुआ तिराहे से ऊनकला होते हुये भर्री बसन्तपुर तक ल0 लगभग-03 कि0मी0।

5-ग्राम सतनुआ तिराहे से भटपुरा तक ल0 लगभग-01 कि0मी0।

6-निगोही विलसण्डा रोड पर भटियुरा पृथ्वीपुर से खिरिया पश्चिमी होते हुये घनश्यामपुर व खिरिया पूर्वी तक ल0 लगभग-03 कि0मी0।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत जिगना मिश्रपुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राहुल प्रकाश-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरा विधान सभा क्षेत्र छानबे, मिर्जापुर काफी पिछड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र छानबे, जनपद-मिर्जापुर में विकास खण्ड-छानबे जिगना मिश्रपुर सम्पर्क मार्ग जो कि क्षतिग्रस्त व सकरा है। गांव को 20 से 25 गांव जोड़ते हैं और इसी मार्ग पर आश्रित है। मिश्रपुर के गंगा नदी में प्लाटून पुल बन जाने से तीन जिलों को जोड़ता है जिसमें महत्वपूर्ण सीतामढ़ी पर्यटन स्थल जो जिला भदोही को जोड़ता है और वाया हंडिया होते हुये इलाहाबाद को भी जोड़ता है। इसका निर्माण हो जाने से तीन जिले लाभान्वित होंगे।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में विकास खण्ड छानबे, जनपद-मिर्जापुर के जिगना मिश्रपुर का सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों एवं स्टाफ की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार लल्लू-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद-कुशीनगर में सेवरही में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना हुआ है जिसमें काफी लम्बे समय से कोई भी चिकित्सक स्थायी रूप से तैनात नहीं है जिससे क्षेत्रवासियों को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मिल पा रहा है। डॉक्टरों के अभाव के कारण यह चिकित्सालय प्रायः बन्द रहता है। ज्ञात हो कि सेवरही नगर पंचायत है।

अतः अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये शासन के आदेशों के अनुपालन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही को सुचारु रूप से चलाने हेतु पर्याप्त रूप से स्टाफ एवं चिकित्सकों को नियुक्ति किये जाने की अति आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवरही की सभी सुविधायें तत्काल प्रभाव से क्षेत्रवासियों को प्राप्त हो इस हेतु त्वरित कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-इटावा में चीनी मिल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सावित्री कठेरिया-

[मान्यवर, सादर अवगत कराना है कि जनपद-इटावा में गन्ना किसानों के हितार्थ शुगर (शक्कर) मिल अथवा चीनी मिल की अति आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 माननीय चन्द्रशेखर जी ने वर्ष 1990-91 के दशक में जनपद-इटावा में शक्कर मिल खोले जाने का शिलान्यास किया था। उनके साथ तत्कालीन पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव भी उपस्थित थे। उपरोक्त शिलान्यास को करीब 29 वर्ष बीत रहे हैं, तब से आज तक जनपद में शिलान्यास के बावजूद भी चीनी मिल की स्थापना नहीं हो सकी है। यदि जनपद-इटावा में चीनी मिल प्रारम्भ हो जाती है तो जनपद औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद और मैनपुरी आदि जनपदों के गन्ना किसानों को अपने गन्ने का वाजिब मूल्य मिलने लगेगा। उस वक्त ये सभी जनपद गन्ना उत्पादन की बेल्ट की श्रेणी में आते थे। चीनी मिल न होने से इन जनपदों का किसान गन्ना उत्पादन में पीछे हटने को मजबूर है।

अतः आपसे अनुरोध है कि नियम-301 के अन्तर्गत इटावा में चीनी मिल स्थापित कराने हेतु आदेश पारित कराने की कृपा करें, जिससे इन जनपदों के किसानों को वाजिब मूल्य मिल सके एवं बेरोजगारों के लिये रोजगार सृजन हो सके।]

जनपद-चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सैयदराजा में ओलों के कारण किसानों के फसलों की बर्बादी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह-

[मान्यवर, जनपद-चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र 382-सैयदराजा में दिनांक 02-12-2001 को अतिवृष्टि एवं ओला के कारण तथा खेतों में 01 फीट तक पानी का जल भराव होने के कारण किसानों की धान की खड़ी फसल पूरी तरह सड़कर बर्बाद हो गयी।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों से भी वार्ता की लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर अधिकारियों से नहीं मिल पाया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद-कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर सीवर लाइन तथा पानी की पाइप लाइन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कानपुर महानगर के वि0स0 क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत बर्रा, गुजैनी, डबौली, दादानगर व नौरइया से सी0टी0आई0 चौराहे तक (जिसमें बस्ती भी) सीवर लाइन व पानी की पाइप लाइन भी नहीं है और कहीं-कहीं कोई सीवर लाइन संचालित नहीं है, जिससे क्षेत्र की जनता को बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जिससे भविष्य में भयानक स्थिति का सामना जनता को करना पड़ सकता है।

अतः आपके माध्यम से मा0 सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय को आकर्षित कराना चाहता हूँ जिससे आम जनता का जीवन सुखमय हो।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2019†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग की अधिसूचना संख्या-1868/86-2019-57(सा0)-2017, दिनांक 13 अगस्त, 2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतालिसवां संशोधन) नियमावली, 2019 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-28(3) को अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

न्यायमूर्ति श्री विष्णु सहाय की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर कृत कार्रवाई के विवरण†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से गुमनामी बाबा उपाख्य भगवानजी जांच आयोग पर न्यायमूर्ति श्री विष्णु सहाय की रिपोर्ट की संस्तुतियों पर कृत कार्रवाई के विवरण सहित जांच

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

† छापी नहीं गयी।

आयोग अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-60, सन् 1952) की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-06 ।

सभापति आश्वासन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

(घोर व्यवधान होने के कारण माननीय सभापति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया)

श्री अध्यक्ष-

आज जितनी याचिकायें कार्य-सूची में हैं, उन सभी याचिकाओं को मैं अध्यक्षीय शक्तियों का सदुपयोग करते हुये प्रस्तुत की हुई मानता हूँ।

(मद संख्या-7 से लेकर 20 तक सभी याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गयीं)

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री मूलचन्द्र सिंह की-

(1) जनपद-जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच से नदीगांव मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज प्रताप सिंह चन्देल व अन्य निवासीगण जनपद-जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद-जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत पहूज नदी परावर घाट एप्रोच मार्ग का निर्माण, मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकिशोर सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद-जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत माधौगढ़ से कुठौंद मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद-जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद-जालौन के अन्तर्गत उरई से कोंच मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद-जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(5) जनपद-जालौन के अन्तर्गत जालौन से कोंच मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद-जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित चार याचिकाएं तथा जनपद-बरेली से सम्बन्धित एक याचिका†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय की -

(1) जनपद-रायबरेली की कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद-रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद-रायबरेली, विकास खण्ड ऊंचाहार जनपद-रायबरेली की कतिपय मार्गों की मरम्मत एवं निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रत्नेश शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद-रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद रायबरेली के पूर्व में स्वीकृत बकुलाही ड्रेन की खुदाई, सफाई एवं पुलियों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री इख्तियार अहमद (लल्लू) व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद बरेली के ऊंचाहार थर्मल पावर के ऐश डेम रायपुर आरखा आदि से उत्पन्न प्रदूषण एवं भू-गर्भ जल दूषित होने से क्षेत्रीय जनता संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त होने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना दुबे व अन्य निवासीगण जनपद-रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(5) जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में 1323 के0वी0 का बिजली घर स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिचरन सिंह मुन्नू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-रायबरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

श्रीमती सुषमा पटेल, सदस्य, विधान सभा की जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्रीमती सुषमा पटेल की-

(1) जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा रामपुर पतरहिया में नाले पर पुलिया निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद-जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(2) जनपद जौनपुर के वि0ख0 सुजानपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा नगौली में गोरखपुर प्रयागराज मार्ग से नगौली (खन्दू का पुरवा) सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समर बहादुर पटेल व अन्य निवासीगण ग्राम सभा नगौली, वि0ख0 सुजानपुर, जनपद-जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गईं।

---

† छापी नहीं गयी।

डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 18 याचिकाएं, जनपद-कानपुर देहात से सम्बन्धित 1 याचिका एवं जनपद-कानपुर से सम्बन्धित 1 याचिकाएं†

डा0 डी0सी0 वर्मा की-

(1) जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में अनुविस डिग्री कालेज हाई-वे से ग्राम परौरा होते हुये मीरगंज हुरहुरी मार्ग तक रोड का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में श्री चौधरी सुरेन्द्रपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सिरोधी अंगदपुरा से जाम तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री के0पी0 राना व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम ठिरिया खुर्द में तालाब के किनारे डामर रोड कट गया है जिसकी रोकथाम हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पैगानगरी में तालाब की सुरक्षा, दीवार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवदत्त गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(5) जनपद-कानपुर देहात में स्थित विभिन्न उप जिलाधिकारी न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में भूमि प्रयोग परिवर्तन संक्रमणीय अधिकार देने एवं कृषि भूमि को अनुसूचित जाति से सवर्ण नामान्तर में क्रमशः वांछित मूल्यांकन का 01 प्रतिशत न्याय शुल्क एवं 01 प्रतिशत राजकीय कोष में न जमा करा कर करोड़ों रुपयों की राजस्व क्षति एवं लाखों रुपये रिश्वत लेने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह पुत्र श्री भूपति सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर देहात द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(6) जनपद-कानपुर में एच0एल0 एग्रो केमिकल फैक्ट्री स्थित ग्राम उमरन, तहसील-अकबरपुर, जिला-कानपुर देहात के स्वामीगण अनूप साहू, आदित्य साहू एवं अखिलेश साहू द्वारा ग्राम सभा में निहीत 6-1/2 बीघा भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में कर, बाउण्ड्रीवाल बना कर फैक्ट्री के रूप में उपयोग/उपभोग किये जाने के सम्यक् जांच किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

नोट :-† छापी नहीं गयी।

(7) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दिनष मिर्जापुर अड्डे पर रोड के दोनों ओर नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री छोटे लाल गंगवार व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(8) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज में रामगंगा के खादर में बसे कैंसर प्रभावित सभी 15-20 गांव के निवासियों को रामगंगा के पानी को स्वच्छ कर अथवा ओवर हैड टैंकों द्वारा अथवा इण्डिया मार्का नलों में फिल्टर लगाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तरूण गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(9) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज में रामगंगा के खादर में बसे कैंसर प्रभावित सभी 15-20 गांव के निवासियों को रामगंगा के पानी को स्वच्छ कर अथवा ओवर हैड टैंकों द्वारा अथवा इण्डिया मार्का नलों में फिल्टर लगाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बध में श्री तरूण गंगवार निवासी ग्राम बहरौली, मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(10) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज के ग्राम कुल्छा से ग्राम कुल्छा की गौटिया तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह निवासी कुल्छा मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(11) जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पिथुपुरा से ग्राम गौतारा तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(12) जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के तिलमास प्राइमरी पाठशाला होते हुये तिलमास की पूर्वी गौटिया तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनोखे लाल राजपूत निवासी ग्राम तिलमास की पूर्वी गौटिया मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(13) जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम मुगलपुर से ग्राम मुगलरोड की मंडिईया तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(14) जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम मनकरा से गोलकुण्डा रामपुर तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल गंगवार निवासी ग्राम मनकरा मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(15) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज के ग्राम सिरोधी अंगदपुर में खेल मैदान बनवाने के सम्बन्ध में श्री के0पी0 राना निवासी ग्राम सिरोधी, अंगदपुर, मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(16) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज के ग्राम ठिरिया खुर्द से हुरहुरी बहरौली मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल गंगवार निवासी ग्राम ठिरिया खुर्द मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(17) जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बलेही से ग्राम बंशीपुर तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती राजो देवी लोधी व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(18) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज के धनेटा शीशगढ़ मार्ग से वाया खिदाईपुर से ग्राम आनन्दपुर तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरन सिंह, निवासी ग्राम आनन्दपुर मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(19) जनपद-बरेली की तहसील-मीरगंज के ग्राम कैथोला बेनीराम से ग्राम पडरीखालसा तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टीकाराम कश्यप निवासी ग्राम पडरीखालसा मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(20) जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के मीरगंज सिरौली मार्ग से ग्राम सलामतगंज तक रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन लाल लोधी निवासी ग्राम सलामतगंज मीरगंज व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री बम्बा लाल दिवाकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित याचिकां†

श्री बम्बा लाल दिवाकर की-

जनपद-उन्नाव के सफीपुर में महिला अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गोल दीक्षित व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गयी।

श्री आजाद अरिमर्दन, सदस्य, विधान सभा की जनपद-आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका †

श्री आजाद अरिमर्दन की-

जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र 351, लालगंज के अन्तर्गत ब्लाक पल्हना में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो तरवा से संचालित होता है, को हटा कर के स्वतंत्र रूप से

नोट :-† छापी नहीं गयी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मेडिकल अफसर नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद-आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री नितिन अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-हरदोई से सम्बन्धित याचिकां†

श्री नितिन अग्रवाल की-

जनपद-हरदोई में एस0 आई0 टी0 की मुकदमा अप0 संख्या-6/2010 पर की गयी जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर सिंह ''पन्ने'' निवासी डी-44 आवास विकास कालोनी, जनपद-हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री रवि सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बस्ती से सम्बन्धित याचिका †

श्री रवि सोनकर की-

जनपद-बस्ती के कचुआरे घाट पर (कुआनु नदी) सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजयपाल, निवासी कचुआरे व अन्य निवासीगण जनपद-बस्ती द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गई।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित चार याचिकाएं †

डॉ0 नीरज बोरा की-

(1) जनपद-लखनऊ के कपूरथला बाजार, अलीगंज में पार्किंग स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद-लखनऊ के फैजुल्लागंज गोमती तट पर नये श्मशान घाट के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद के फैजुल्लागंज क्षेत्र में निकट पुरनिया सीतापुर रोड से हरदोई रोड बाईपास तक सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री विवेक सिंह तोमर पुत्र स्व0 भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(4) जनपद के फैजुल्लागंज प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वार्ड में पेयजल हेतु ट्यूबवेल एवं पाइपलाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप शुक्ला टिंकू

नोट :-† छापी नहीं गयी।

पुत्र श्री बनवारीलाल शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद-लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-फिरोजाबाद से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की-

(1) जनपद-फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लॉक फिरोजाबाद में नगला चूरा विद्युत उपकेन्द्र से होते हुये वन चेतना केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री महाराज सिंह निवासी ग्राम नगला चूरा व अन्य निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद-फिरोजाबाद की विधान सभा शिकोहाबाद के ब्लाक फिरोजाबाद में ग्राम बरकतपुर तिराहे से गांव के अन्दर जाने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महाराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद-फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लॉक शिकोहाबाद में ग्राम बुढरई धर्मजीत के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मजीत सिंह बघेल व अन्य निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद-फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लॉक शिकोहाबाद के मोहल्ला ओम नगर में राजेश यादव के घर से कप्तान सिंह फौजी के घर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में शोभित अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद-शिकोहाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(5) जनपद-फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ब्लॉक फिरोजाबाद के ग्राम नगला उदी मुन्ना लाल के घर से रतन सिंह दुकान तक सीसी निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम रूप निवासी ग्राम नगला उदी जिला-फिरोजाबाद व अन्य निवासीगण जनपद-फिरोजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गई।

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित याचिका†

कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह की-

जनपद-जालौन के विधान सभा कालपी क्षेत्र के ग्राम सिरसाकलार में थाना चौराहा से बाबई रोड पर स्थित गंदा नाला तक नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 अरुण मिश्रा निवासी सिरसाकलार कालपी व अन्य निवासीगण जनपद-जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

---

नोट :-† छापी नहीं गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री अमिताभ बाजपेई की-

(1) जनपद-कानपुर नगर की ग्राम सभा तरीपाठकपुर के ग्राम सभा की बहुमूल्य जमीन अपात्रों को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रतीक बाजपेयी पुत्र अनिल कुमार बाजपेयी व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(2) जनपद-कानपुर में खाद्य पदार्थों की जांच हेतु लैब स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत गुप्ता पुत्र स्व0 पूर्ण चन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद-कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री रजनी कान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री रजनी कान्त मणि त्रिपाठी की-

(1) जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में सड़कों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में श्री भारत भूषण शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद-कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में विभिन्न श्रेणियों के कुल 514 पदों का मद सृजन के सम्बन्ध में श्री सचिन पाठक व अन्य निवासीगण जनपद-कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के मुख्य सड़कों के दोनों तरफ जल निकासी हेतु नाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री राम बलवान मिश्रा व अन्य निवासीगण, जनपद-कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(4) जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में विकास खण्ड पडरौना में विवाह भवन निर्माण के सम्बन्ध में श्री हितेन्द्र कुमार शुक्ल व अन्य निवासीगण, जनपद-कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(5) जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में सड़कों के उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में श्री मनोज मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद-कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गई।

नोट :-† छापी नहीं गयी।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गौतमबुद्धनगर नोएडा से सम्बन्धित चार याचिकाएं†

श्री पंकज सिंह की-

(1) जनपद-गौतमबुद्धनगर नोएडा के ग्राम भंगेल पुलिस चौकी से नौजीवन इण्टर कालेज सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री अमित त्यागी चौहान व निवासीगण जनपद गौतमबुद्धनगर नोएडा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(2) जनपद-गौतमबुद्धनगर ग्रेटर नोएडा यूसुफपुर चकशाहबेरी में सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में श्री निर्मल कुमार सिंह चौहान व निवासीगण जनपद-गौतमबुद्धनगर नोएडा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

(3) जनपद-गौतमबुद्धनगर के नोएडा में श्रमिक का विकास के सम्बन्ध में श्री नवाब चौधरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका चौहान व निवासीगण जनपद-गौतमबुद्धनगर नोएडा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

(4) जनपद-गौतमबुद्धनगर नोएडा के ग्राम बरौला में सिंचाई विभाग के मुख्य नाले पर क्षतिग्रस्त पुल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान व निवासीगण जनपद-गौतमबुद्धनगर नोएडा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, प्रस्तुत की हुई मानी गई।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-21 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-22 ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा करा ली जाय।

2-दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 को उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 के पारण सम्बन्धी मदें ले ली जायं।

नोट :-† छापी नहीं गयी।

3-दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को अग्रतर चर्चा हेतु नियम-103 के उन प्रस्तावों को भी ले लिया जाय जो दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 को चर्चा हेतु कार्य-सूची में सम्मिलित किये गये थे किन्तु उन पर चर्चा नहीं हो पायी थी।

4-दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को नियम-103 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य प्रस्तावों को प्रस्तुतीकरण हेतु ले लिया जायं।

तदनुसार दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 से दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

दिसम्बर, 2019

19 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुनःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-अन्य कार्य, यदि कोई हों।

20 शुक्रवार 1-विधायी कार्य।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)

3-नियम-103 के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण एवं उन पर आधे-आधे घण्टे की चर्चा :-

क्रम सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री जवाहर लाल राजपूत	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में फसलों में किये जा रहे अन्धाधुन्ध रासायनिक खादों एवं कीटनाशक के प्रयोग से हो रही कैंसर, किडनी, पक्षाघात, ब्रेन स्ट्रोक, स्टोन जैसी खतरनाक बीमारियों की रोकथाम हेतु रासायनिक खेती के सापेक्ष प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जाय''
2	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा की तहसील छाता विधान सभा क्षेत्र मांट के ग्राम सभा शेरगढ़ को नगर पंचायत बनाया जाये।''
3	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा की तहसील मांट राजा और मांट मूला को मिलाकर एक नगर पंचायत बनायी जाये''

क्रम सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
4	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के वृन्दावन को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन से पृथक कर उच्चीकृत नगर पालिका बनायी जाये''
5	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट की पानीगांव ग्राम सभा को नगर निगम मथुरा-वृन्दावन में शामिल किया जाये''
6	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा की नगर पालिका कोसी में ग्राम सभा कोसी देहात, ग्राम सभा अजीजपुर को शामिल किया जाये''

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि- ''कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23 में कुछ नहीं है।

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शोरगुल जारी रखने के कारण सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019[†]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

[†] (1) दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

[11:08] वर्ष 2019-2020 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-07, 09 लगायत 11, 14, 18, 21, 31, 48 लगायत 49, 55, 57, 60 लगायत 61, 68, 73 लगायत 74, 76, 78, 81, 83 तथा 86

अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1771,19,00,000 रुपये (एक हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ उन्नीस लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

---

† (2) दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 1006,27,05,000 रुपये (एक हजार छः करोड़ सत्ताईस लाख पांच हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये (पच्चीस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 182,33,55,000 रुपये (एक सौ बयासी करोड़ तैंतीस लाख पचपन हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 32,00,00,000

रुपये (बत्तीस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 3,03,00,000 रुपये (तीन करोड़ तीन लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 280,00,00,000 रुपये (दो सौ अस्सी करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-48-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 20,85,00,000 रुपये (बीस करोड़ पचासी लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 32,21,12,000 रुपये (बत्तीस करोड़ इक्कीस लाख बारह हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-55-लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु) के अन्तर्गत 196,97,50,000 रुपये (एक सौ छियानबे करोड़ सत्तानवे लाख पचास हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-60-वन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 196,09,97,000 रुपये (एक सौ छियानबे करोड़ नौ लाख सत्तानवे हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-61-वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-73-शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 13,94,96,000 रुपये (तेरह करोड़ चौरानवे लाख छियानवे हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-74-गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत 34,000 रुपये (चौतीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 130,00,00,000 रुपये (एक सौ तीस करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-78-सचिालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये (पांच करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 14,83,27,000 रुपये (चौदह करोड़ तिरासी लाख सत्ताइस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 118,45,30,000 रुपये (एक सौ अट्ठारह करोड़ पैंतालिस लाख तीस हजार रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 50,00,00,000 रुपये (पचास करोड़ रुपये) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-07, 09 लगायत 11, 14, 18, 21, 31, 48 लगायत 49, 55, 57, 60, लगायत 61, 68, 73 लगायत 74, 76, 78, 81, 83 तथा 86 के अन्तर्गत कुल रुपये चार हजार तिरानवे करोड़ इक्कीस लाख छः हजार (रुपये 40932106000) की द्वितीय अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये स्वीकार की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 अनुसूची, प्रस्तावना व शीर्षक

31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।

---

† (2) दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2020 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 4210,85,40,000 रुपये (रुपये चार हजार दो सौ दस करोड़ पचासी लाख चालीस हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से वर्ष 2019-2020 के लिए 4210,85,40,000 रुपये का दिया जाना विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2	3			
अनुदान/	सेवायें ओर प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)			
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व : पूंजी :	96094.00 81025.00	-- --	96094.00 81025.00
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व : पूंजी :	100000.00 627.05	9924.43 147.05	109924.43 774.10
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	500.00	--	500.00
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	2500.00	--	2500.00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व : पूंजी	1884.83 16348.72	-- --	1884.83 16348.72

1	2	3			
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	पूंजी :	3200.00	--	3200.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	--	808.06	808.06
21	खाद्य तथा रसद विभाग	पूंजी :	303.00	--	303.00
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी :	28000.00	--	28000.00
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	2085.00	--	2085.00
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	पूंजी :	3221.012	--	3221.12
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	पूंजी :	500.00	--	500.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	पूंजी :	19697.50	--	19697.50
60	वन विभाग	पूंजी :	19609.97	--	19609.97
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1.00	--	1.00
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	--	884.80	884.80
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	500.00	--	500.00
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	1394.96	--	1394.96
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	0.34	--	0.34
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	पूंजी :	13000.00	--	13000.00
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	500.00	--	500.00
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	1194.32	--	1194.32
		पूंजी :	288.95	-	288.95
83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	143.96	--	143.96
		पूंजी :	11701.34	--	11701.34
86	सूचना विभाग	राजस्व :	5000.00	--	5000.00
	योग :	**राजस्व :**	**211798.41**	**11617.29**	**223415.70**
		पूंजी :	**197522.65**	**147.05**	**197669.70**
	महायोग :		**409321.06**	**11764.34**	**421085.40**

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 अनुसूची, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, अनुसूची, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2019-2020 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (निरस्त)

श्री अध्यक्ष-

क्या आप लोग अपने-अपने स्थानों पर वापस जायेंगे ताकि मैं कार्य-स्थगन की मद ले सकूँ।

(वेल में उपस्थित विपक्ष के सदस्यों के अपने आसन पर वापस न जाने व लगातार नारेबाजी करते रहने पर घोर व्यवधान जारी रहा।)

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन), विधेयक 2019 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-34 में संशोधन है जिस पर श्री उज्जवल रमण सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी जी को संशोधन प्रस्तुत करना था लेकिन कोई मा0 सदस्य संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन), विधेयक 2019 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2019

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम,1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 में, उप धारा (2) में शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2015'' के स्थान पर शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 2016'' रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन), विधेयक 2019 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन), विधेयक 2019 पारित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-36 में संशोधन है जिस पर श्री संजय गर्ग, श्री उज्जवल रमण सिंह, श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', डा0 संग्राम यादव, श्री नफीस अहमद तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी जी को संशोधन प्रस्तुत करना था लेकिन कोई मा0 सदस्य संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन)

विधेयक, 2019

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962 की धारा 4-ग का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 में, धारा 4 ग के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता

''4-ग-धारा 4-ख के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, उस अवधि तक के लिये विधिमान्य होगा जिस अवधि तक के लिये दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान विद्यमान हो।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-38 में संशोधन है जिस पर श्री संजय गर्ग, श्री उज्जवल रमण सिंह, श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', डा0 संग्राम यादव, श्री नफीस अहमद तथा श्री अमन मणि त्रिपाठी जी को संशोधन प्रस्तुत करना था लेकिन कोई मा0 सदस्य संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहे है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-28 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019

एक

विधेयक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक संस्कृत शैक्षिक संस्थाओं, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों से अन्तर्ग्रस्त विवादों और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों के प्रभावी एवं त्वरित न्याय निर्णयन के निमित्त शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम, 2019 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) ''पीठ'' का तात्पर्य अधिकरण के किसी पीठ से है;

(ख) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य अधिकरण के अध्यक्ष से है;

(ग) ''मुख्य न्यायमूर्ति'' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति से है;

(घ) ''जिला न्यायाधीश'' का तात्पर्य बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के अर्थान्तर्गत किसी जिला न्यायाधीश से है;

(ङ) 'शैक्षिक संस्था' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा परिषद् प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाई स्कूल या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के किसी विद्यालय से है और इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल सम्मिलित है;

(च) विधिक प्रतिनिधि का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधिक रूप में प्रतिनिधित्व करता हो और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें पेंशन सम्बन्धी, सेवानिवृत्तिक, सेवान्त या अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार निहित हो;

(छ) 'प्रबन्ध तंत्र' का तात्पर्य प्रशासन योजना, यदि कोई हो, के अनुसार गठित किसी प्रबन्ध समिति से है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें किसी शैक्षिक संस्था के मामलों का प्रबन्धन करने का अधिकार निहित हो;

(ज) 'सदस्य' का तात्पर्य अधिकरण के किसी न्यायिक या किसी प्रशासनिक सदस्य से है और इसमें उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सम्मिलित है;

(झ) 'शिक्षणेत्तर कर्मचारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के किसी कर्मचारी या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाई स्कूल के किसी अध्यापक से भिन्न ऐसे कर्मचारी, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो, या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किसी विद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी से है;

(ञ) 'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई सहायक प्रस्तुत कर्ता अधिकारी सम्मिलित हैं;

(ट) ''सेवा सम्बन्धी मामले'' का तात्पर्य किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले से है;

(ठ) 'अधिकरण' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण से है;

(ड) 'अध्यापक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य या किसी अन्य अध्यापक या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाईस्कूल के ऐसे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या किसी अन्य अध्यापक, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा प्रदान करने हेतु नियोजित किसी व्यक्ति से है।

अधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक अधिकरण स्थापित करेगी जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण कहा जायेगा।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम तीन ऐसे अन्य न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, होंगे।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा/होगी जब तक कि वह–

(एक) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा/रही हो, अथवा

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए उपाध्यक्ष (न्यायिक) पद धारित न किया/की हो; या जिला न्यायाधीश या कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया/की हो;

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य न रहा हो और भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया हो और न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हों;

(ख) उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा/होगी, जब तक कि वह–

(एक) जिला न्यायाधीश या कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया/की हो, अथवा

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए न्यायिक सदस्य का पद धारित न किया/की हो;

(ग) उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा/होगी, जब तक कि वह–

(एक) कम से कम दो वर्ष तक के लिए प्रशासनिक सदस्य का पद धारित न किया/की हो; या

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के वेतनमान से कम न हो और राज्य सरकार की राय में न्याय करने में पर्याप्त अनुभव धारित न किया/की हो;

(घ) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा/होगी जब तक कि वह जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारित न किया/की हो;

(4) वेतनमान रु0 1,44,200–2,18,200 या उच्च वेतनमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा या प्रान्तीय सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) का कोई अधिकारी, प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, परन्तु यह कि राज्य सरकार की राय में वह न्याय करने में पर्याप्त अनुभव धारित किया/की हो;

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिसके लिए प्रस्ताव का पहल राज्य सरकार द्वारा किया जायेगाः

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद तब तक धारण नहीं करेगा/करेगी जब तक कि वह उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सिवाय सेवा, जिसमें वह सेवारत था/थी, से पद त्याग न कर दिया/दी हो या सेवा निवृत्त न हो गया/गयी हो;

(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिये इस रूप में पद धारण करेगा/करेगी, किन्तु वह पॉच वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा/होगी;

परन्तु यह कि–

(एक)अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु और

(दो) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इस रूप में पद धारण नहीं करेगा;

(7) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकता हैः

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, जब तक राज्यपाल द्वारा उसे पहले ही अपना पद छोड़ने की अनुज्ञा न दे दी जाय, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा;

(8) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या ऐसे न्यायाधीश, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विहित रीति से नाम निर्दिष्ट किया जाय, द्वारा की गयी ऐसी जांच, जिसमें यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया गया हो, के पश्चात सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा किये गये किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाये नहीं जायेंगे;

(9) पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन अग्रतर नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगेः

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन कोई उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, क्रमशः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(10) पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, सम्बन्धित अधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से न उपस्थित होगा, न कार्य करेगा या न अभिवचन करेगा।

(11) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को संदेय वेतन तथा भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें, ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय;

(12) जहाँ अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या जहॉ अध्यक्ष का पद, उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाय वहाँ उपाध्यक्ष, और जहॉ उपाध्यक्ष तद्नुरूप अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाय वहां, ऐसा अन्य सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अध्यक्ष के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता/लेती है।

अधिकरण के कर्मचारिवर्ग

4–(1) राज्य सरकार अधिकरण की, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और अधिकरण हेतु ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का उपबन्ध करेगी जैसा कि वह उचित समझे;

(2) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे;

(3) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य सेवाशर्तें वही होंगी जैसी कि विहित किया जाये।

अधिकरण को दावा निर्दिष्ट करना

5–(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी हो या रहा हो, अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकता है;

स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''आदेश'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2000, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के अधीन किसी शैक्षिक प्राधिकारी के किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता अथवा शैक्षिक संस्था की प्रबन्ध समिति या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के आदेश से है;

परन्तु यह कि किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि और जहाँ ऐसे दो या दो से अधिक प्रतिनिधि हों, वहॉ उनमें से सभी संयुक्त रूप से ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु के कारण देय वेतन भत्तों, उपदान, भविष्य निधि, पेंशन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य आर्थिक प्रसुविधाओं के संदाय हेतु अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकते हैं :

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक निर्देश, ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य, तथा ऐसे निर्देश दाखिल किये जाने से सम्बन्धित ऐसी फीस और प्रक्रिया के निष्पादन या उसे तामीलीकरण हेतु ऐसी अन्य फीस, जैसा कि विहित किया जाय, संलग्न किये जायेंगे;

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर यदि अधिकरण का, ऐसी जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि उक्त निर्देश, उसके न्याय निर्णयन या विचारण के लिये उपयुक्त है तो वह ऐसा निर्देश ग्रहण कर सकता है और जहां अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहॉ वह अपना कारण अभिलिखित करने के पश्चात् निर्देश को संक्षेपतः अस्वीकृत कर देगा;

(4) जहाँ कोई निर्देश, उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो, वहाँ ऐसे निर्देश की विषय वस्तु से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में सुसंगत सेवा नियमावली या विनियमावली या किसी संविदा के अधीन ऐसी प्रत्येक कार्यवाही, जो ऐसे निर्देश ग्रहण करने के ठीक पूर्व लम्बित हो, उपशमित हो जायेगी और अधिकरण द्वारा अन्यथा निदेश दिये जाने के सिवाय, ऐसे विषय के सम्बन्ध में तत्पश्चात् कोई अपील या अभ्यावेदन, ऐसी नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन ग्रहण नहीं किया जायेगा;

(5) अधिकरण, सामान्यतया कोई निर्देश तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाय कि अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी ने सुसंगत सेवा नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग कर लिया है;

(6) उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिये, यदि राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन शिकायत के सम्बन्ध में ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन को निरस्त करते हुए कोई अंतिम आदेश दिया गया हो, तो किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा, उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग किया गया समझा जायेगा :

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपील करने या अभ्यावेदन दिये जाने के दिनांक से 120 दिन के भीतर कोई अंतिम आदेश न किया गया हो वहाँ अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी, रजिस्ट्रीकृत डाक से लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना तामील किये जाने के एक माह के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा, उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग किया गया समझा जायेगा।

अधिकरण द्वारा निर्देश की सुनवाई

6–(1) अध्यक्ष दावों के ऐसे निर्देशों और अन्य विषयों, जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के निस्तारण के लिए समय–समय पर पीठों का गठन कर सकता है जिसमें दो सदस्य होंगे;

(2) अध्यक्ष के लिये यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे किसी पीठ के सदस्य के रूप में स्वयं को नाम निर्दिष्ट करे;

(3) एक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होगा;

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (न्यायिक), न्यायिक सदस्य समझे जायेंगे और उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) प्रशासनिक सदस्य समझा जायेगा;

(4) अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग ऐसे किसी पीठ द्वारा ऐसी अधिकारिता, शक्तियों या प्राधिकार का प्रयोग करके किया जा सकता है जिसे अधिकरण द्वारा प्रयोग किया गया समझा जायेगा;

(5) अध्यक्ष, स्वप्रेरणा से या दावे के किसी निर्देश के निमित्त किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी मामले का अन्तरण, एक पीठ से दूसरी पीठ को कर सकता है;

(6) जहॉ किसी पीठ के सदस्य, किसी मामले में सहमत होने में असमर्थ हों तो उक्त मामला अध्यक्ष द्वारा गठित किसी अन्य पीठ को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और पश्चात्वर्ती पीठ का विनिश्चय अंतिम होगा।

अधिकरण की शक्तियां और प्रक्रिया

7–(1)(क) अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में निर्धारित प्रक्रिया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) में अंतर्विष्ट साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस धारा और धारा 16 के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन अधिकरण को अपनी प्रक्रिया (जिसमें अपनी बैठक का दिनांक और समय नियत करना और यह विनिश्चत करना सम्मिलित है कि बैठक सार्वजनिक या निजी तौर पर की जाय) विनियमित करने की शक्ति होगी :

परन्तु यह कि जहाँ किसी निर्देश की विषय वस्तु के सम्बन्ध में, किसी सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री सुना दिया हो या कोई आदेश पारित कर दिया हो या कोई रिट या निर्देश जारी कर दिया हो और ऐसी डिक्री, आदेश, रिट या निदेश अंतिम हो गया हो, वहॉ पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होगा;

(ख) धारा 6 के अधीन किसी निर्देश के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1963) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो निर्देश इस प्रकार सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद हो, तथापि यह किः–

(एक) पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा अवधि के होते हुए भी ऐसे निर्देश के लिए परिसीमा अवधि एक वर्ष होगी;

(दो) परिसीमा अवधि की संगणना में उस दिनांक, जिस दिनांक को अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करे या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को किया गया अभ्यावेदन न हो) करे, से प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक, जिस दिनांक को ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी को यथास्थिति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर पारित किये गये अंतिम आदेश की जानकारी हुयी हो, को समाप्त होने वाली अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा;

(2) अधिकरण प्रत्येक निर्देश को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करेगा और साधारणतया उसके द्वारा प्रत्येक मामले का विनिश्चय, दस्तावेजों और अभ्यावेदनों के परिशीलन या मौखिक या लिखित बहसों यदि कोई हो, के आधार पर किया जायेगा;

(3) अधिकरण, साक्ष्य में किसी मूल दस्तावेज के बदले में उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ग्रहण कर सकता है;

(4) अधिकरण, साधारणतया मौखिक साक्ष्य पेश करने की न तो मांग करेगा या न अनुज्ञा देगा, और यदि आवश्यक हो, किसी पक्षकार से सम्यक रूप से शपथकृत शपथ–पत्र दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है;

(5) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई जॉच आयोजित करने के प्रयोजनार्थ, उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां होगी जो किसी वाद पर विचारण के समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैंः–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) सम्यक रूप से शपथकृत शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अधियाचित करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

(च) विधिसम्मत करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करना और तद्नुसार आदेश करना;

(छ) अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना;

(ज) व्यतिक्रम के लिए कोई निर्देश खारिज करना या उस पर एक–पक्षीय विनिश्चिय करना;

(झ) व्यतिक्रम के लिए खारिज किये गये किसी आदेश या अपने द्वारा पारित किये गये एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना;

(ञ) किसी निर्देश पर अंतिम विनिश्चय के लम्बित रहने तक ऐसे निबन्धनों, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, पर अन्तवर्ती आदेश पारित करना;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाये;

(6) किसी निर्देश से सम्बन्धित किन्हीं कार्यवाहियों में अधिकरण द्वारा कोई अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं पारित किया जायेगा, जब तक :–

(क) ऐसे निर्देश और अन्तरिम आदेश हेतु आवेदन की प्रतिलिपियाँ और साथ ही साथ ऐसे अन्तरिम आदेश के लिये अभिवचन के समर्थन में समस्त दस्तावेज, उस पक्षकार को न उपलब्ध करा दिये जाये, जिसके विरूद्ध ऐसा निर्देश दाखिल किया गया हो; और

(ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर दाखिल करने के लिए कम से कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये :

परन्तु यह कि अधिकरण, खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के किसी क्षति, जिसे धन द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित नहीं की जा सकती है, के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आपवादिक उपाय स्वरूप अन्तरिम आदेश कर सकता है किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश, यदि उसे पहले निष्प्रभावी न कर दिया जाये, उस दिनांक, जिस दिनांक को वह किया जाय, से चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न कर लिया गया हो और अधिकरण ने उस आदेश के प्रर्वतन को जारी न रखा हो;

(7) पूर्ववर्ती उप–धाराओं में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अधिकरण को किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के विरूद्ध नियोजक द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) करने की शक्ति नहीं होगी;

(8) अधिकरण द्वारा की गयी घोषणा, दावेदार और उसके नियोजक और साथ ही साथ किसी ऐसे अन्य अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी पर बाध्यकारी होगी जिसे उसके हित को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने वाले किसी दावा के संबंध में उसके विरूद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया गया हो और उक्त घोषणा किसी विधि न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के समान प्रभावी होगी;

(9) किसी निर्देश को अन्तिम रूप से निस्तारित करने वाले अधिकरण के आदेश का निष्पादन, उसी रीति से किया जायेगा जिस रीति से निर्देश से सम्बन्धित दावेदार के नियोजन के किसी मामले में दावेदार द्वारा की गयी किसी अपील या किये गये अभ्यावेदन में, शिकायतों को दूर करने से सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी, या अन्य व्यक्ति का कोई अन्तिम आदेश निष्पादित किया जाता;

(10) (क) राज्य सरकार, अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कोई विधि व्यवसायी नियुक्त कर सकती है;

(ख) कोई अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी और विधिक व्यवसायी की भी सहायता ले सकता है;

(11) अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी;

(12) किसी निर्देश या किसी निर्देश के उत्तर या किसी आवेदन–पत्र पर या तो नियुक्ति प्राधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो वहाँ राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा और किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी के मामले में यथास्थिति उसके कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है।

उच्चतम् न्यायालय के सिवाय न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन

8–जिस दिनांक को/से किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी मामलों में इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार प्रयोग किये जाने योग्य हो जायेगा, उच्चतम् न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय के पास ऐसे सेवा सम्बन्धी मामलों में कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा अथवा वह उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति

9–न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के अधीन अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिकरण को अपने अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा जैसा कि उच्च न्यायालय को अपने अवमानना के सम्बन्ध में है और उसके द्वारा उनका

प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात् :–

(क) उसमें उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों के प्रति निर्देश को क्रमशः अधिकरण, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के प्रति निर्देश के रूप में समझा जायेगा;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रति निर्देश को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक या ऐसे अन्य विधि अधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में समझा जायेगा;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 19 में–

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

''(1) अवमानना हेतु दण्डित करने की अपनी अधिकारिता का प्रयोग करके अधिकरण के किसी आदेश या निदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय में साधिकार अपील की जायेगी।''

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थातः–

''(4) उपधारा (1) के अधीन अपील, उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, के दिनांक से साठ दिन के भीतर दाखिल की जायेगी।''

विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण

10–(1) अधिकरण द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या प्राधिकारी आदेश के दिनांक से 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में कोई विधि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो;

(2) उप–धारा (1) के अधीन पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना–पत्र में उक्त मामले से अन्तर्ग्रस्त विधि का प्रश्न संक्षिप्त रूप में उल्लिखित होगा; विधि के प्रश्न का प्रतिपादन करने या विधि के किसी अन्य प्रश्न को उठाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय सक्षम होगा;

(3) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण हेतु पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उसमें अन्तर्ग्रस्त विधि के प्रश्न पर विनिश्चय करेगा या यदि नये सिरे से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय नये सिरे से अवधारण करने के लिए विनिश्चय की एक प्रति अधिकरण को भेज सकता है, और तत्पश्चात् अधिकरण ऐसे आदेश पारित करेगा जो उक्त विनिश्चय के अनुरूप मामले का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हों;

(4) उच्च न्यायालय राज्य अधिकरण के आदेश को उपान्तरण सहित या उसके बिना पुष्ट कर देगा या इसे अपास्त कर देगा या पुनरीक्षण का निस्तारण लम्बित रहने तक ऐसे निबन्धनों, यदि कोई हो, जिन्हे वह उचित समझे, के अध्यधीन आदेश का प्रवर्तन स्थगित कर सकता है;

(5) परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबन्ध, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किये जाने हेतु यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

वादों पर रोक

11–(1) नियत दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समान अनुतोष के लिए समस्त वाद, और ऐसे वादों से प्रोदभूत होने वाली समस्त अपील, पुनरीक्षण, पुनरीक्षण हेतु आवेदन–पत्र और अन्य आनुषंगिक या सहायक कार्यवाहियाँ (जिसके अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ हैं) और अकिंचन के रूप में समान अनुतोष के लिए वाद या अपील करने की अनुज्ञा के लिए समस्त आवेदन पत्र और उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन (अन्तर्वर्ती आदेशों से प्रोदभूत होने वाले)समस्त पुनरीक्षण उपशमित हो जायेंगें, और उनके अभिलेख अधिकरण को अन्तरित कर दिये जायेंगे और तत्पश्चात् अधिकरण उन मामलों में उसी रीति से विनिश्चय करेगा मानों वे धारा (6) के अधीन उसके लिए निर्दिष्ट दावे हों :

परन्तु यह कि अधिकरण, धारा 8 के उपबंधों के अध्यधीन, ऐसे प्रक्रम से कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करेगा, जिस प्रक्रम पर मामला पूर्वोक्तानुसार उपशमित किया गया हो और न्यायालय में प्रस्तुत किन्ही अभिवचनों या किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर ऐसी कार्यवाही करेगा मानो वे अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत या पेश किए गए हों;

(2) नियत दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे वादों से उद्भूत होने वाले विचाराधीन समस्त अपीलों की सुनवाई और निस्तारण उस न्यायालय द्वारा पूर्ववत निरन्तर किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो;

परन्तु यह कि यदि उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम–23 या नियम–25 के अधीन मामला प्रतिप्रेषित करना या प्रतिनिर्दिष्ट करना आवश्यक समझे तो प्रतिप्रेषण या प्रतिनिर्देश का आदेश, सम्बद्ध अधीनस्थ न्यायालय के बजाय अधिकरण को निदेशित किया जायेगा और तत्पश्चात् अधिकरण, उच्च न्यायालय के निदेशों के अध्यधीन मामला या विवाद्यक पर उसी रीति से विनिश्चिय करेगा मानो यह धारा 6 के अधीन उसके लिए निर्दिष्ट कोई दावा हो।

अधिकरण के सदस्य और कर्मचारि वर्ग लोक सेवक होंगे

12–अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तथा अन्य सदस्य और अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

13–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशायित किसी बात के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।

सदस्य न्यायाधीश होंगे

14–अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 के प्रयोजनों के लिए न्यायाधीश समझे जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति

15–(1)राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशेषतः और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी मामले या कोई मामला उपबन्धित किये जा सकते हैं/किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) अधिकरण की शक्तियाँ और उसकी प्रक्रिया;

(ख) पीठों का गठन और उनके मध्य कार्य बटवारा;

(ग) वह प्रपत्र जिसमें किसी दावे का निर्देश किया जा सकता है, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य, जिनके साथ ऐसा निर्देश संलग्न होगा और ऐसा निर्देश दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में या प्रक्रमकों के निष्पादन या तामीलीकरण के लिए संदेय फीस;

(घ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें;

(ङ) अधिकरण के अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां;

(च) कोई अन्य मामला, जिसके लिये इस अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान न हों और राज्य सरकार उस निमित्त उपबन्ध करना आवश्यक और समीचीन समझे।

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

16–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-28 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह अनुपूरक एजेण्डा है इसे ले लीजिए।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) यह 6 नवम्बर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में, धारा 3 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2019

3-(1) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अध्यादेश, 2019, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 22 नवम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10 सन् 1973 की धारा-4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ट) एक विश्वविद्यालय, जिसे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के रूप में जाना जायेगा;''

धारा-50 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(1-च) जब तक कि इस धारा के अधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपान्तरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबन्ध करे।''

धारा-52 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा-52 में, उपधारा (2-च) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(2-छ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायं, तब तक डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबन्ध करे।''

अनुसूची का संशोधन

5-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्या-5 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

''5-डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(एक) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना होने तक	आगरा, अलीगढ़ एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी और मथुरा जिले
(दो) राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना हो जाने पर	आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा जिले

(ख) क्रम संख्या 16 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''17-राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।''	अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज जिले

कठिनाइयों को दूर किया जना

6-(1) राज्य सरकार, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की स्थापना से सम्बन्धित किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि मूल अधिनियम के उपबंध, ऐसी कालावधि में, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया आदेश, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन्, 2019

निरसन और व्यावृत्ति

7-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, अनसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रसताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में अन्ना जानवरों से रबी, खरीब आदि फसलों को हो रहे भारी नुकसान के कारण किसानों को हो रहे आर्थिक संकट को रोकने के लिये कोई ठोस नीति बनाई जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस मद में नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा है, यह चर्चा जारी रहेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 79 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, समस्त सूचनाएं स्वीकृत की जाती हैं। सभी स्वीकृत सूचनाएं संलग्न हैं।

पहली सूचना श्री मुकेश चन्द्र वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के कतिपय ग्रामों के किसानों की फसलों को भारी बारिश एवं ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की कानपुर नगर में जल निगम अधिकारियों द्वारा पी0एम0 विजिट की आड़ में बिना ई-टेण्डर कराये गये कार्यों में हुई धांधली की जांच के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद कन्नौज के अन्तर्गत पोस्ट तेरामल्लू के ग्राम मोचीपुर निवासी श्री केशव बाबू के चौक पर किये गये अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'' की जनपद फतेहपुर में कतिपय अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवी सूचना श्री राज कुमार अग्रवाल की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत 249-रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया की जनपद महोबा के अन्तर्गत चरखारी को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री संजय गर्ग की नगर निगम सहारनपुर में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर 'एडवोकेट' की जनपद लखनऊ के थाना गोसाईंगंज में पुलिस की

निष्क्रियता के सम्बन्ध में है। नौवीं सूचना श्री अबरार अहमद की जनपद सुल्तानपुर में लोक निर्माण की अनियमितता के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में 132 के0वी0 उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की प्रदेश सरकार द्वारा गाजीपुर के शहीद श्री विनोद राजभर के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी में नगर पंचायत कुसमरा एवं किशनी की पात्रता सूची की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में तैनात लेखपालों को मोटरसाइकिल भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री सुभाष राय की जनपद अम्बेडकरनगर में जलालपुर-रामगढ़ सड़क का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री अनिल कुमार दोहरे की प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। सोलहवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है। सत्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठारहवीं सूचना श्री पारसनाथ यादव की नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत बंगला बाजार में हुये अवैध कब्जे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। उन्नसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बीसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ में ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्कसवीं सूचना डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर विधान सभा क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सम्पूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। बाईसवीं सूचना श्री अवस्थी बाला प्रसाद की जनपद लखीमपुर के सिंचाई विभाग में विजिलेंस जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। तेइसवीं सूचना श्री सत्यवीर त्यागी की जनपद मेरठ के ब्लाक मांछरा में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौबीसवीं सूचना श्री भूपेश चौबे की जनपद सोनभद्र में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पच्चीसवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के गजरौला में ट्रामा सेन्टर बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। छब्बीसवीं सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की जनपद मथुरा में आवारा छुट्टा पशुओं की समस्या के निराकरण की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्ताइसवीं सचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की विधान सभा क्षेत्र 06-रामपुर मनिहारन में हिन्डन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। अट्ठाइसवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर में मछुआ समाज को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्तसवीं सूचना डॉ0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर में बस स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है। तीसवीं सूचना श्रीमती राजबाला की जनपद रामपुर में जल निगम द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्तीसवीं सूचना श्री धनन्जय कन्नौजिया की जनपद बलिया के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बत्तीसवीं सूचना डॉ0 मन्जू शिवाच की दिल्ली-मेरठ रोड पर तेज गति के वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में है। तैंतीसवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की ऊर्जा विभाग में स्थानान्तरण नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में है। चौतीसवीं सूचना श्री सुरेश राही की प्रदेश में गौशाला निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। पैंतीसवीं सूचना श्री गंगा की जनपद कुशीनगर में कतिपय सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छत्तीसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट की जनपद बहराइच में कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सैतीसवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद गौतमबुद्धनगर में टोल की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है। अड़तीसवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच की विधान सभा क्षेत्र नानपारा को जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में है। उन्तालीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के राया क्षेत्र में बाइपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चालीसवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ में सिंचाई विभाग में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। इकतालीसवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की जनपद देवरिया में सौर ऊर्जा संयंत्रों की खरीद में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। बयालीसवीं सूचना श्री नरेश सैनी की जनपद सहारनपुर में आवारा कुत्तों की रोकथाम के सम्बन्ध में है। तिरालीसवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौवालीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में कतिपय जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। पैंतालिसवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ में विद्युत उपकेन्द्र का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है। छियालसवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के सरकारी ट्यूबवेल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। सैतालिसवीं सूचना श्री आजाद अरिमर्दन की जनपद आजमगढ़ के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। अड़तालीसवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की जनपद प्रयागराज में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। उन्चासवीं सूचना डॉ0 हरगोविन्द भार्गव की प्रदेश में लेखपालों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है। पच्चासवीं सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की समाज कल्याण विभाग द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्यावनवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है। बावनवीं सूचना श्री काली प्रसाद की अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है। तिरपनवीं सूचना श्रीमती लीना तिवारी की जनपद जौनपुर के वि0ख0 रामनगर के ग्राम विकास अधिकारी एवं ए0डी0ओ0 पंचायत रामनगर की मिलीभगत से विकास कार्यों में की गयी अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौवनवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की जिलाधिकारी, आगरा द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न कराये जाने के सम्बन्ध में है। पचपनवीं सूचना श्री सूर्यभान सिंह की

जनपद सुल्तानपुर की तहसील बल्दीराय के मौजा बहुरावां में लेखपाल द्वारा दलित आबादी की जमीन कब्जा कराये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। छप्पनवीं सूचना श्री हरीराम की जनपद सोनभद्र में भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्तावनवीं सूचना श्री तसलीम अहमदकी जनपद कासगंज में मिड-डे-मील की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। अठ्ठावनवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद अयोध्या में छुट्टा जानवरों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है। उनसठवीं सूचना श्री पवन केडिया की जनपद कुशीनगर में बाढ़ आपदा के दौरान ध्वस्त पुलों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। साठवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव की नगर पालिका परिषद् द्वारा धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। इक्सठवीं सूचना श्री पंकज सिंह की नोएडा शहर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने के सम्बन्ध में है। बासठवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तिरसठवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद कौशाम्बी में बिजली विभाग द्वारा कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौंसठवीं सूचना श्री असलम अली की ओलावृष्टि से हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है। पैंसठवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छाछठवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के अन्तर्गत सेजनी पुल तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। सड़सठवीं सूचना श्री अजय कुमार लल्लू की बिजली विभाग के कर्मचारियों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है। अड़सठवीं सूचना डॉ0 अरुण कुमार की स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में है। उनहत्तरवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में ठोकर बनवाये जाने के सम्बन्ध में है। सत्तरवीं सूचना श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव की जनपद मैनपुरी में देवी रोड से औछा रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। इकहत्तरवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा विशेष घोषणा के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में पेयजल हेतु माननीय विधायकों को दिये गये समरसिबल के सम्बन्ध में है। बहत्तरवीं सूचना श्रीमती जय देवी की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीहत्तरवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की कृषकों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है। चौहत्तरवीं सूचना डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की जाम की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में है। पचहत्तरवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में है। छियत्तरवीं सूचना श्री बहोरन लाल मौर्य की वृक्षारोपण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। सत्तरवीं सूचना श्री राहुल प्रकाश की नहर की सी0 सी0 लाइनिंग पिचिंग का निर्माण कार्य में की गई अनियमितता की जांच के सम्बन्ध में है। अठहत्तरवीं सूचना श्री महेश त्रिवेदी की जनपद मेरठ में तैनात उर्दू अनुवादक उस्मान अली द्वारा किये जा

रहे भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा उन्यासवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्रा की सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयीं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सदन को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अनिश्चितकाल के स्थगन का प्रस्ताव रखिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, पूरे विपक्ष को जनता ने नकार दिया, इनके पास कोई काम नहीं है। इन लोगों को अपना अपना इस्तीफा देकर घर बैठना चाहिये। सदन में जनता ने इसलिये भेजा कि ये लोग यहां पर अपनी बात कहेंगे, विपक्ष में रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे लेकिन आज पूरे प्रदेश की जनता इनका आचरण इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से देख रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब करने का काम आज सम्पूर्ण विपक्ष कर रहा है। कांग्रेस, स0पा0, ब0स0पा0 के पास कोई काम नहीं है। हम इसलिये आये थे कि ये लोग चर्चा करेंगे, इनके सवालों का जवाब हम देंगे जिससे पूरे प्रदेश की जनता को जानकारी मिलेगी लेकिन पूरे विपक्ष का रवैया बहुत ही निराशाजनक है। ये लोग पूरे प्रदेश में केवल आग लगाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर से यही दोहराना चाहता हूँ कि इन लोगों को त्याग-पत्र देकर अपने-अपने घर जाना चाहिये।

(वेल में आये हुए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य 'लोकतंत्र विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, नहीं चलेगी' 'किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी' 'छात्र विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी-नहीं चलेगी' 'संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी' के नारे लगा रहे थे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यहां पर जिस लिए आए हैं, अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते, मान्यवर, फिर यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

कृपया जन-गण-मन के लिए खड़े हो जाइये।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंध-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम आदर व सद्भावना सहित अनिश्चितकाल के लिए उठते है।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 11 बजकर 31 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 73 विधान सभा (105)-22-07-2021-631 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।